अतिरिक्त प्रकटीकरण:

भारतीय रिज़र्व बैंक, नए पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क बेसल III पर समय - समय पर दिशानिर्देश जारी करता है। दिशानिर्देशों के संबंध में पिलर III अपेक्षाओं के तहत निर्धारित प्रारूप के अनुसार निम्नलिखित प्रकटीकरण किए गए हैं।

जोखिम प्रबंधन

जोखिम लेना बैंकिंग कारोबार का अभिन्न अंग है। विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया में बैंक कई प्रकार का जोखिम लेते हैं। बैंक द्वारा किए गए प्रत्येक लेन देन से बैंक का रिस्क प्रोफाइल बदलता है। सामान्य कारोबार में बैंक के लिए कई जोखिम हैं जैसे उधार जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम। जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य जोखिम भरे कार्यकलापों से रोकना नहीं है , बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि पूरी जानकारी, स्पष्ट उद्देश्य और समझ के साथ जोखिम उठाया गया है ताकि इसका आकलन किया जा सके और शमन किया जा सके। ऐसी जोखिमों का प्रभावी रूप से प्रबंधन करने के लिए बैंक ने कई जोखिम प्रबंधन उपाय एवं प्रणालियां तैयार की हैं और इन्हें काम में लाया जा रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाए रखा है जिसमें नीतियां, साधन, तकनीक, प्रबोधन प्रक्रियाएं और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआइएस) शामिल हैं।

बैंक नियमित आधार पर जोखिम और प्रतिलाभ के बीच उपयुक्त ट्रेड ऑफ प्राप्त करने के जरिए शेयरधारकों के मूल्यों को अधिकतम करने और बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। बैंक के जोखिम प्रबंधन के उद्देश्यों में जोखिम की उचित पहचान, उसे मापना, प्रबोधन / नियंत्रण और इसका शमन करना शामिल है ताकि बैंक की समग्र जोखिम फिलॉसफी को प्रतिपादित किया जा सके। बैंक द्वारा अपनाई गई जोखिम प्रबंधन नीति जोखिम की स्पष्ट समझ और जोखिम की मांग के स्तर पर आधारित है। बैंक की जोखिम एपिटाइट जोखिम प्रबंधन से संबंधित विभिन्न नीतियों में जोखिम सीमाओं के उपायों के जरिए प्रदर्शित होते हैं।

बैंक ने उपयुक्त जोखिम प्रबंधन संगठन रूपरेखा बैंक में स्थापित कर ली है। निदेशक मंडल की एक उप-समिति, जोखिम प्रबंधन समिति गठित की गई है जो बैंक में ऋण जोखिम, व्यापार जोखिम, परिचालन जोखिम और अन्य जोखिमों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। बैंक ने उधार जोखिम प्रबंधन के लिए ऋण नीति समिति (सीपीसी), बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) और बाज़ार जोखिम के प्रबंधन हेतु अल्को उप समिति व निधि समिति, परिचालन जोखिम के प्रबंधन के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) तथा सूचना सुरक्षा के प्रबंधन हेतु सूचना सुरक्षा समिति का भी गठन किया है।

बैंक में उत्कृष्ट जोखिम प्रबंधन प्रणाली और व्यवहार के कार्यान्वयन के लिए बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में एक पूर्णरूपेण जोखिम प्रबंधन विभाग कार्यरत है जो कारोबार विभागों से अलग है। महा प्रबंधक इस विभाग के प्रभारी हैं जो बैंक में जोखिम प्रबंधन पर समग्र पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी मुख्य जोखिम अधिकारी हैं और सभी आंतरिक जोखिम प्रबंधन समितियों के लिए संयोजक हैं। विशेष रूप से जोखिम प्रबंधन में मिड ऑफिस तथा उधार समर्थन सेवाएँ विभाग और सामान्यत: अन्य प्रकार्यात्मक विभाग/ शाखा भी जोखिम प्रबंधन कार्य करते हैं तथा नीति जोखिम सीमा रूपरेखा और आन्तरिक अनुमोदनों के पालन / अनुपालन का प्रबोधन करते हैं। जोखिम प्रबंधकों को क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात किया गया है। विभिन्न एम आइ एस को प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय कार्यालय के जोखिम प्रबंधन विभाग के साथ समन्वयन करने के अलावा वे क्षेत्र स्तरीय ऋण अनुमोदन समिति में सहभागिता करते हैं।

जोखिम का प्रभावी रूप से प्रबंधन करने के लिए मूल एप्रोच इसके प्रारंभिक बिंदु के जोखिम नियंत्रण करने पर निर्भर करती है। बैंक ने 31.3.2008 से प्रभावी पूँजी पर्याप्तता रूपरेखा (बेसल II) का कार्यान्वयन किया था और ये समय - समय पर भा.रि.बैं. द्वारा जारी दिशानिर्देशों के क्रम में फ्रेमवर्क के अनुपालन में है। बेसल III दिशानिर्देशों की शुरूआत 01.04.2013 से की गई है और बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार पूँजी का अनुरक्षण कर रहे हैं। बेसल II फ्रेमवर्क तीन पारस्परिक सहायक पिलर पर आधारित हैं। संशोधित फेमवर्क का पहला पिलर क्रेडिट, मार्केट और परिचालनात्मक जोखिम के लिए न्यूनतम पूँजी आवश्यकता से संबंधित है। दूसरा पिलर पर्यवेक्षी पुनरीक्षा प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करता है कि बैंक के पास पर्याप्त पूँजी है ताकि वह अपने कारोबार में सभी प्रकार के जोखिमों का बैंक के जोखिम प्रोफाइल और नियंत्रण वातावरण के साथ शमन कर सकता है। भा.रि.बैं. की अपेक्षा के अनुरूप बैंक ने आंतरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइसीएएपी) पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है ताकि वह दूसरे पिलर की अपेक्षाओं को पूरा कर सके। इस नीति का लक्ष्य उन सभी महत्वपूर्ण जोखिमों का मूल्यांकन प्रथम पिलर जोखिमों के तहत विनियामक निर्धारकों से ऊपर करना है जिसका सामना बैंक करता है और पर्याप्त पूँजी ढाँचा सुनिश्चित करना ताकि आवश्यकताओं की पूर्ति निरंतर होती रहे।

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 02.12.2013 को जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप एक तनाव जांच नीति /फ्रेमवर्क तैयार किया है जिससे अपवादस्वरूप किन्तु संभाव्य घटनाओं के प्रति संगठन की संभाव्य संवेदनशील स्थिति का पता लगाया जा सके। तनाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण, विशेषत: बैंक के भौतिक जोखिम एक्सपोजर के संबंध में, आर्थिक मंदी के समय में किसी पोर्टफोलियो में निहित संभावित जोखिम की पहचान करने और तदनुसार इसका सामना करने के लिए उचित उपाय करने में सहायक होता है। नीतिगत उपायों के अनुसार बैंक आवधिक रूप से बैंक के तुलन-पत्र पर विभिन्न तनाव परीक्षण करता है और आल्को / आरएमसीबी / बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित कारोबार निरंतरता योजना एवं विनाश से उबरने की योजना बनी है । जीरो डाटा लॉस के लिए 3 वे डाटा केंद्र , सभी 3 डाटा केन्द्रों पर और केन्द्रीय कार्यालय पर , मल्टीपल एम पी एल एस - वी पी एन हाइ बैण्डविथ कनेक्शन , वैकल्पिक सेवा प्रदाता से ड्वेल कनेक्टीविटी और शाखाओं के लिए वैकल्पिक मीडिया की स्थापना की गयी है। फायरवॉल और इन्ट्रूजन डिटेक्शन प्रणाली को कार्यान्वित किया गया है। सूचना सुरक्षा घटनाओं की निगरानी और विश्लेषण करने के लिए सूचना प्रणाली सुरक्षा विभाग द्वारा एक सुरक्षा परिचालन केन्द्र (एसओसी) की स्थापना की गयी है ताकि सुधारात्मक उपाय किए जा सके। जबकि आइ एस लेखापरीक्षा अनुभाग बैंक के विभागों और शाखाओं की आवधिक सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा की देख-रेख करता है। बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सूचना सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाया है। प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से डी आर ड्रिल आयोजित किया जाता है। नेटवर्क सेक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए बाहरी विशेषज्ञों द्वारा खतरा विश्लेषण और पेनेट्रेशन टेस्टिंग आयोजित किया जाता है।

बेसल II फ्रेमवर्क के तहत परिकल्पित उन्नत पहलों को माइग्रेट करने के लिए बैंक अपने जोखिम प्रबंधन प्रणाली व प्रक्रिया को उन्नत बनाने की प्रक्रिया में सलंग्न है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2013 से प्रभावी लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन पर अंतिम दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस दिशानिर्देश में विभिन्न स्तरों पर घरेलू व विदेशी परिचालनों समेत समेकित बैंक परिचालनों की तैयारी व प्रस्तुति शामिल है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक ने प्रणाली व प्रक्रिया तैयार की है।

तरलता कवरेज अनुपात व निवल स्थाई वित्त पोषण अनुपात विषयक भा.रि.

ADDITIONAL DISCLOSURES AS ON 31.03.2017

Reserve Bank of India issues guidelines on Basel III Capital Adequacy Framework from time to time. In terms of the guidelines, the following disclosures are made as per the specified Formats under Pillar III requirement:

RISK MANAGEMENT

Risk taking is an integral part of the banking business. Banks assume various types of risks in its activities while providing different kinds of services based on its risk appetite. Each transaction that the Bank undertakes changes the risk profile of the Bank. In the normal course of business, a bank is exposed to various risks including Credit Risk, Market Risk and Operational Risk. The objective of risk management is not to prohibit or prevent risk taking activity, but to ensure that the risks are consciously taken with full knowledge, clear purpose and understanding so that it can be measured and mitigated. With a view to managing such risks efficiently and strengthening its risk management systems, the bank has put in place various risk management measures and practices which includes policies, tools, techniques, monitoring mechanism and management information systems (MIS).

The Bank, on a continuous basis, aims at enhancing and maximizing the shareholder values through achieving appropriate trade off between risks and returns. The Bank's risk management objectives broadly cover proper identification, measurement, monitoring, control and mitigation of the risks with a view to enunciate the bank's overall risk philosophy. The risk management strategy adopted by the bank is based on an understanding of risks and the level of risk appetite of the bank. Bank's risk appetite is demonstrated broadly through prescription of risk limits in various policies relating to risk management.

The bank has set up appropriate risk management organization structure in the bank. Risk Management Committee of the Board (RMCB), a sub-committee of the Board, is constituted which is responsible for management of credit risk, market risk, operational risk and other risks in the Bank. The bank has also constituted internal risk management committees namely Credit Policy Committee (CPC) for managing credit risk, Asset Liability Management Committee (ALCO),ALCO Sub-committee and Funds Committee for managing market risk, Operational Risk Management Committee for managing operational risk, and Information Security Committee for managing Information security.

A full fledged Risk Management department is functioning at the Bank's Central Office, independent of the business departments for implementing best risk management systems and practices in the bank. A Chief Risk Officer in the rank of General Manager of the bank is in charge of the department who is responsible for overall supervision on risk management in the bank and is the convener for all the internal risk management committees. The Mid-Office in Risk Management and Credit Support Services Dept., in particular, and other functional departments/ branches in general also carry out the risk management functions and monitor the adherence/compliance to policies, risk limit framework and internal approvals. Risk Managers have been placed at Regional Offices. Apart from coordinating with Risk Management Department, Central Office for submission of various MIS, they participate in Regional Level Credit Approval Committee.

The basic approach to manage risk more effectively lies with controlling the risk at the point of its origination. The bank had implemented the New Capital Adequacy Framework (Basel-II) with effect from 31.3.2008 and is in compliance with the framework, in line with the guidelines issued by the RBI from time to time. Basel III guidelines have been introduced from 01.04.2013 and bank is maintaining capital as per the guidelines. The Basel-II Framework is based on three mutually reinforcing pillars. While the first pillar of the revised framework addresses the minimum capital requirement for credit, market and operational risks, the second pillar of supervisory review process ensures that the bank has adequate capital to address all the risks in their business commensurate with bank's risk profile and control environment. As per RBI's requirement, the Bank has put in place a Board approved Policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to address second pillar requirements. This policy aims at assessing all material risks to which the bank is exposed over and above the regulatory prescriptions under the first pillar risks and ensuring adequate capital structure to meet the requirements on an ongoing basis.

The bank has formulated a "Stress Testing framework" to assess the potential vulnerability of the organization to exceptional but plausible events in line with the guidelines issued by RBI on 2nd December 2013. Stress testing and scenario analysis, particularly in respect of the bank's material risk exposure, enable identification of potential risks inherent in a portfolio at times of economic recession and accordingly take suitable proactive steps to address the same. In accordance with the policy prescriptions, the bank carries out various stress tests on bank's balance sheet periodically and specific portfolios and places the reports to ALCO/ RMCB / Board.

Board approved Business Continuity Plan and Disaster Recovery plan is in place. The 3 way data centers have been implemented to facilitate Zero data loss, Multiple MPLS-VPN high bandwidth connections at all 3 data Centres and Central, Dual connectivity from different alternate service/alternate providers and alternate media for branches have been established. Firewall and Intrusion detection systems have been implemented. A Security Operating Centre (SOC) has been established by the Information System Security Department to monitor and analyse the information security incidents to take corrective steps while IS Audit section takes care of the periodical Information Systems Audit of the Bank's department and branches. The bank has fine tuned the information security systems in accordance with RBI guidelines. Regular DR drills are being conducted every quarter. To ensure Network security, periodical Vulnerability assessment and Penetration testing exercise are conducted by external experts.

The Bank is also in the process of upgrading its risk management systems and procedure for migrating to the advanced approaches envisaged under Basel II framework.

Reserve Bank of India has issued final guidelines on Liquidity Risk Management effective from March 2013. The guideline covers preparation and submission of consolidated bank operations including domestic operations and overseas operations separately at various frequencies. The bank has put in place system and procedure in this regard in compliance with the RBI guidelines.

With regard to the RBI guidelines on Liquidity Coverage ratio and Net Stable funding ratio, Bank is reporting LCR to RBI from Jan 2015 onwards. The implementation of the LCR has been

बैं. दिशानिर्देशों के संदर्भ में, बैंक जनवरी 2015 व इसके बाद तक भा.रि.बैं. को एलसीआर दर्ज कर रहा है। एलसीआर का कार्यान्वयन 60% के न्यूनतम आवश्यक अपेक्षा के साथ 1 जनवरी, 2015 से चरणबद्ध किया गया है जो 1 जनवरी, 2019 तक धीरे-धीरे 100% तक बढ़ जाएगा। एनएसएफआर जनवरी 2018 से प्रभावी होना निर्धारित है।

बेसल III ने एक सरल, पारदर्शी व गैर-जोखिम आधारित लेवरेज अनुपात की शुरूआत की है, जिसे जोखिम आधारित पूँजी अपेक्षा के लिए विश्वसनीय पूरक उपाय के रूप में कार्य करने के लिए जाँचा जाता है। बैंक को भी लिवरेज अनुपात पर नियामक अपेक्षाओं के अनुरूप किया गया है और 30 जून, 2013 को समाप्त तिमाही से तिमाही आधार पर भा.रि.बैं. को रिपोर्ट कर रहा है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2013 को समाप्त तिमाही से बैंक द्वारा बेसल III पूंजी अनुपात के साथ 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित किए जाने के लिए भारत में बेसल III पूंजी विनियामकों के कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार इनका अनुपालन कर रहा है।

बेसल II फ्रेमवर्क के तीसरे पिलर का अभिप्राय बाज़ार अनुशासन से है। बाज़ार अनुशासन का उद्देश्य, स्तम्भ 1 के तहत उल्लिखित न्यूनतम पूंजी आवश्यकता और स्तम्भ II के तहत उल्लिखित पर्यवेक्षी पुनरीक्षण प्रक्रिया को पूरा करना है। इस संदर्भ में, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक में जाखिम प्रबंधन के बारे में तालिका डीएफ 1 से 11 (संलग्न) में प्रकटीकरण (मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों) का एक सेट प्रकाशित किया गया है जिससे बाजार के सहभागी अनुप्रयोग की गुंजाइश, पूंजी जोखिम एक्सपोजर जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया, बैंक की जोखिम प्रोफाइल और पूंजीकरण के स्तर आदि के बारे में महत्वपूर्ण सूचना का आकलन कर सकें; (ए) अनुप्रयोग की गुंजाइश डीएफ-1, (बी) पूंजी पर्याप्तता (डीएफ-2), (सी) उधार जोखिम: सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण (डीएफ-3), (डी) उधार जाखिम: पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण बशर्ते कि मानकीकृत दृष्टिकोण (डीएफ-4), (ई) उधार जोखिम शमन: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण (डीएफ-5), (एफ) प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण (डीएफ-6), (जी) ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम (डीएफ-7), (एच) परिचालन जोखिम (डीएफ-8), (आइ) बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) (डीएफ-9), (जे) काउंटर पार्टी उधार जोखिम से संबंधित एक्सपोजर के लिए सामान्य प्रकटीकरण (डीएफ-10) और (के) पूंजी का संघटन (डीएफ-11) (एल) एवं लिवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट (डीएफ-18)। यह बाजार के सहभागियों को विभिन्न मानदण्डों में बैंक के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक जानकारी भी प्रदान करेगा।

बेसल ।।। के तहत पिलर ।।। के अनुसार अपेक्षित आंकड़े

1. प्रयोज्यता की संभावना और पूँजी पर्याप्तता

तालिका डीएफ-1: प्रयोज्यता की संभावना

बैंकिंग समूह का नाम जहां यह रूपरेखा लागू होती है

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

निगमन के देश/ इकाई का नाम	क्या इकाई समेकन के लेखाकरण संभावना के अंतर्गत आती है (हाँ/ नहीं)	समेकन की विधि की व्याख्या	क्या ईकाई समेकन की विनियामक संभावना के अंतर्गत आती है (हाँ/ नहीं)	समेकन की विधि की व्याख्या	समेकन की विधि में अंतर के लिए कारणों की व्याख्या	समेकन की संभावना के सिर्फ किसी एक के तहत समेकन किए जाने के कारण की व्याख्या
		बैंक किसी समूह के अंतर्गत नहीं आता है		लागू नहीं		

(क) समेकन के लिए विचारणीय इकाइयों के समूह की सूची: लागू नहीं

(ख) लेखाकरण और विनियामक समेकन की दोनों संभावनाओं के तहत समेकन के लिए अविचारणीय इकाइयों के समूह की सूची

निगमन के देश/ इकाई का नाम	इकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक ईकाई के लेखाकरण के तुलन पत्र में उल्लिखितानुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	ईकाई के पूँजी लिखतों में बैंक के निवेश के प्रति विनियमक व्यवहार	कुल तुलन पत्र परिसंपत्ति (विधिक ईकाई के लेखाकरण के तुलन पत्र में उल्लिखितानुसार)
		बैंक किसी समूह के अंतर्गत नहीं आता है		लागू नहीं	

phased in from January 1, 2015 with a minimum mandatory requirement at 60 per cent, which will gradually increase to 100 per cent by January 1, 2019. NSFR is scheduled to be effective from January 2018.

Basel III has introduced a simple, transparent and non-risk based leverage ratio, which is calibrated to act as a credible supplementary measure to the risk based capital requirement. Bank also has been in compliance with the regulatory requirement on Leverage ratio and reporting to RBI on a quarterly basis from the quarter ending June 30, 2013

Reserve Bank of India has issued guidelines on implementation of Basel III capital regulations in India to be implemented in phased manner effective from April 1, 2013 with Banks disclosing Basel III capital ratios from the quarter ending June 30, 2013. The bank is complying with the same.

The third pillar of Basel-II framework refers to market discipline. The purpose of market discipline is to complement the minimum capital requirements detailed under Pillar 1 and the supervisory review process detailed under Pillar 2. In this context and as guided by RBI a set of disclosure (both qualitative and quantitative) are published in DF 1 to 11 (annexed) with regard to risk management in the bank, which will enable market participants to assess key pieces of information on the (a) scope of application (DF-1), (b) Capital Adequacy (DF-2), (c) Credit Risk: General Disclosures for all banks (DF-3), (d) Credit Risk: Disclosures for Portfolios subject to the Standardized Approach (DF-4), (e) Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches (DF-5), (f) Securitisation Exposures: Disclosure for Standardised Approach (DF-6), (g) Market Risk in Trading Book (DF-7), (h) Operational Risk (DF-8), (i) Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) (DF-9), (j) General Disclosure for Exposures Related to Counter Party Credit Risk (DF-10),(k) Composition of Capital (DF (11) and (L) Leverage ratio common disclosure template (DF-18). This would also provide necessary information to the market participants to evaluate the performance of the bank in various parameters.

Data Required as per Pillar III disclosure under Basel III

1. Scope of Application and Capital Adequacy

TABLE DF –1: Scope of application

Name of the Banking Group to which the framework applies

(i) Qualitative Disclosures

Name of the Entity / Country of Incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of Consolidation (yes/ no)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of Consolidation (yes/ no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
		Bank does not belong to any group		NA		

a. List of group entities considered for consolidation: Not applicable

b. List of Group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

Name of the Entity / Country of Incorporation	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of the bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of the Bank's investments in the capital instruments of the entity	Total Balance Sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
		Bank does not belong to any group	NA		

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

(ग) समेकन के लिए विचारणीय इकाइयों के समूह की सूची

निगमन के देश/ इकाई का नाम (ऊपर 1 (क) में सूचितानुसार)	ईकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक ईकाई के लेखाकरण के तुलन पत्र में उल्लिखितानुसार)	कुल तुलन पत्र परिसंपत्ति (विधिक ईकाई के लेखाकरण के तुलन पत्र में उल्लिखितानुसार)
लागू नहीं			

(घ) उन सभी अनुषंगियों में पूंजी की कमी की कुल रकम जिन्हें समेकन के विनियामक दायरे शामिल नहीं किया जाता है यानी जिनकी कटौती की गई है :

निगमन का देश/ अनुषंगी का नाम	इकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक ईकाई के लेखाकरण के तुलन पत्र में उल्लिखितानुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	पूँजी की कमी
लागू नहीं				

(ड) बीमा इकाई में बैंक के कुल हित की औसत रकम (उदाहरण - चालू बही मूल्य) जो जाखिम भारित हैं:

निगमन का देश/ बीमा इकाइयों का नाम	ईकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक ईकाई के लेखाकरण के तुलन पत्र में उल्लिखितानुसार)	वोटिंग अधिकार का अनुपात / कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	जोखिम भारित प्रक्रिया बनाम पर्ण कटौती विधि के इस्तेमाल का विनियामक पूँजी पर मात्रात्मक प्रभाव
लागू नहीं				

(च) बैंकिंग समूह के बीच निधियों या विनियामक पूँजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधा: लागू नहीं

तालिका डीएफ-2 पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण:

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (बीसीबीएस) द्वारा जारी किए गए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल I) और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के आधार पर अप्रैल 1992 में भारत के बैंकों ने पूंजी पर्याप्तता उपाय कार्यान्वित किए। ये उपाय बैंकों के पूंजी आधार को मजबूत करने और साथ ही पूंजी पर्याप्तता बनाए रखने के मामले में अन्तरराष्ट्रीय श्रेष्ठ व्यवहारों का अनुपालन करने के लिए किए गए हैं। आरंभ में यह बेसल फ्रेमवर्क उधार जोखिम के लिए पूंजी की समस्या दूर करने के लिए थी जिसे बाद में बाजार जोखिम के लिए पूंजी को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक ने संगत दिशानिर्देशों का अनुपालन किया।

बाद में बीसीबीएस ने 26 जून 2004 को पूंजी मानकों और पूंजी मापन के अन्तरराष्ट्रीय सम्परिवर्तन, एक परिशोधित फ्रेमवर्क (बेसल II दस्तावेज के रूप में जाना जाता है) जारी किया। व्यापारिक गतिविधियों और दुगुने चूक प्रभावों के उपचार को शामिल करने के लिए नवंबर 2005 में संशोधित फ्रेमवर्क को अद्यतन किया है और इस फ्रेमवर्क के व्यापक रूपांतर को जून 2006 में जारी किया गया। इन दिशानिर्देशों के आधार पर और अन्तरराष्ट्रीय मानकों के साथ निरन्तरता तथा सामंजस्य बनाए रखने की दृष्टि से भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 अप्रैल 2007 को दिशानिर्देशों जारी किए और बाद में नई पूंजी पर्याप्तता (बेसल II) फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर संशोधन किए गए।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक 31-03-2008 से परिशोधित (बेसल II) फ्रेमवर्क में आ चुका है और बेसल II फ्रेमवर्क की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है।

बेसल II फ्रेमवर्क उधार जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाओं का निर्धारण करने के लिए कई विकल्प प्रदान करती है। इस फ्रेमवर्क में बैंकों और पर्यवेक्षकों को अपने परिचालनों और वित्तीय बाजार के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण चुनने की अनुमति है। भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार बैंक पूंजी का परिकलन करने के लिए उधार जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (एसए) ,बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत माप पद्धति (एसएमएम) और परिचालनात्मक जोखिम के लिए मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण (बीआइए) अपनाया है। इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक ने उधार, बाज़ार और परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी बनाए रखा है।

बैंक ने निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के केंद्रीय कार्यालय में संबधित आँकड़ों के आधार पर बाज़ार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी की गणना की है। मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत क्रेडिट जोखिम के लिए पूँजी की गणना में बैंक अपने केन्द्रीय कार्यालय की पोर्टफोलियो से इतर प्रत्येक शाखा से प्राप्त उधारकर्तावार आंकड़ों पर निर्भर है। सभी प्रकार के ऋणों में क्रेडिट जोखिम पूँजी की संगणना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में सूचित वर्गीकरण के अनुसार उधारकर्तावार या सुविधा प्रकार आधार पर किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए, बैंक ने आंतरिक सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जो शाखाओं के अग्रिम पोर्टफोलियो के उधार जोखिम के लिए पूँजी के हिसाब को सुलभ करता है और सीबीएस के ज़रिए शाखा स्तर, क्षेत्रीय कार्यालय और केंद्रीय कार्यालय स्तर पर आवश्यक रिपोर्ट उत्पन्न करता है। पूँजी संगणना के विभिन्न पहलुओं तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में समन्वयकों के साथ हुई बातचीत के आधार पर फील्ड स्टाफ को आवधिक रूप से आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि पूँजी संगणना में यथार्थता व पर्याप्तता को सुनिश्चित किया जा सके।

सामान्यत: बैंक उधार जोखिमों जहाँ बैंक ने को कम करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। बैंक ने पूंजी राहत प्राप्त करने के लिए उधार जोखिम के लिए पूंजी के परिकलन में उधार जोखिम कमी का प्रयोग किया है। संपार्श्विक प्रबंधन व उधार जोखिम कम करने के लिए एक समुचित नीति तैयार की गई है जिसे बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्राप्त है। उधार जोखिम कमी, जोखिम भारित आस्तियों, पात्र पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात के प्रति पूंजी (सीआरएआर) का हिसाब लगाने के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देश का अनुसरण किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक कुल जोखिम भारित आस्ति अर्थात जोखिम भारित आस्ति की पूँजी के 9%के न्यूनतम अनुपात को बनाए रखना नियत करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी फ्रेमवर्क 5.5% के न्यूनतम सीईटी के साथ 7% न्यूनतम

ii. Quantitative Disclosures

c. List of Group entities considered for consolidation

Name of the Entity / Country of Incorporation (as indicated in (i)a. above)	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	Total Balance Sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
		Not applicable	

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e., that are deducted:

Name of the Subsidiaries / Country of Incorporation	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of the bank's holding in the total equity	Capital deficiencies
		Not Applicable		

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the Bank's total interests in insurance entities, which are risk weighted:

Name of the insurance entiites / Country of Incorporation	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of the bank's holding in the total equity/ proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method vs. using the full deduction method
		Not Applicable		

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the Banking Group:

Not Applicable

Table DF – 2 CAPITAL ADEQUACY

Qualitative Disclosures

Banks in India implemented capital adequacy measures in April 1992 based on the capital adequacy framework (Basel-I) issued by the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) and the guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) from time to time. Such a measure was taken in order to strengthen the capital base of banks and at the same time to make it compliant with the international best practices in the matter of maintaining capital adequacy. Initially the Basel framework addressed the capital for credit risk, which was subsequently amended to include capital for market risk. In line with the guidelines issued by the RBI the bank was compliant with the relevant guidelines.

Subsequently, the BCBS released the "International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework" on June 26, 2004. The Revised Framework was updated in November 2005 to include trading activities and the treatment of double default effects and a comprehensive version of the framework was issued in June 2006. Based on these guidelines and to have consistency and to be in harmony with international standards, the RBI has issued guidelines on 27th April 2007 and subsequent amendments on implementation of the New Capital Adequacy (Basel-II) Framework from time to time.

In line with the RBI guidelines, the Bank had migrated to the revised (Basel-II) framework from 31.3.2008 and continues to be compliant with the requirements of Basel-II framework.

Basel-II Framework provides a range of options for determining the capital requirements for credit risk, market risk and operational risk. The Framework allows banks and supervisors to select approaches that are most appropriate for their operations and financial markets. In accordance with the RBI's requirements, the Bank has adopted Standardised Approach (SA) for credit risk, Standardised Measurement Method (SMM) for market risks and Basic Indicator Approach (BIA) for Operational Risk to compute capital. The Bank is maintaining capital for Credit, Market and Operational Risk in line with the RBI guidelines in this regard.

The Bank has computed capital for market risk and operational risk as per the prescribed guidelines at the bank's Central Office, based on the relevant data. In computation of capital for Credit risk under Standardized Approach, the bank has relied upon the borrower-wise data captured from each individual branch besides portfolios held at Central Office of the bank. In all loan types, the credit risk capital computation is done on borrower basis or facility type basis as per the segmentation advised in the RBI guidelines. For this purpose, the Bank has developed in-house software, which enables computation of capital for credit risk of the advances portfolio of the branches and generation of the requisite reports at the Branch level, Regional Office level and Central Office level through CBS System. Necessary training is imparted to the field staff periodically on various aspects of capital computation and close interactions held with the coordinators at Regional Offices, to ensure accuracy and adequacy of data in capital computation.

Banks generally use a number of techniques to mitigate the credit risk to which they are exposed. The Bank has also used the Credit Risk Mitigation in computation of capital for credit risk in order to get capital relief. A well articulated policy on Collateral Management and Credit Risk Mitigation duly approved by the bank's Board is put in place. The Bank has followed the RBI guidelines in force to arrive at the credit risk mitigation, risk weighted assets, eligible capital and Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR).

RBI has prescribed that banks are required to maintain a minimum total capital (MTC) of 9% of total risk weighted assets (RWAs) i.e. capital to risk weighted assets (CRAR). The framework issued by RBI prescribes maintenance of a minimum

टीयर I सीआरएआर के अनुरक्षण की बात करता है। कुल पूँजी (टायर 1 पूँजी + टायर 2 पूँजी) को नियमित आधार पर जोखिम भारित आस्तियों का कम से कम 9% अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार 9% की न्यूनतम सीआरएआर के भीतर टायर 2 पूँजी को अधिकतम 2% तक स्वीकार किया जा सकता है। आरडब्ल्यूए की 5.5% सामान्य ईक्विटी टायर I पूंजी के अतिरिक्त, बैंकों को प्रत्येक वर्ष 0.625% पर 31.03.2016 से 31.03.2019 तक परिवर्तनीय प्रबन्ध के साथ सामान्य ईक्विटी टायर I पूंजी के रूप में आरडब्ल्यूए का 2.5%पूंजी संरक्षण बफर बनाए रखना होता है।

बैंक की समग्र जोखिम प्रोफाइल के समान परिशोधित फेमवर्क के पिलर 2 आवश्यकताओं के उपाय के रूप में बैंक के संबंधित जोखिम कारकों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने आन्तरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया पर नीति और फ्रेमवर्क तैयार किया है। नीति तैयार करते समय बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों तथा ओवरसीज़ परिचालन समेत बैंक की जोखिम प्रवृत्ति, जहाँ कही लागू / प्रासंगिक हो, में निर्धारित अपेक्षाओं को ध्यान में रखा है।

भावी क्रियाकलापों को समर्थित करने के लिए पूंजी की पर्याप्तता के बारे में बैंक ने कारोबार की भावी संवृद्धि के लिए पूंजी की आवश्यकता का आवधिक रूप से आकलन किया है। बैंक द्वारा अनुरक्षित अधिशेष सीआरएआर भावी क्रियाकलापों को समर्थित करने के लिए बफर की तरह काम करेगा। इसके अलावा, टायर I और टायर II पूंजी घटकों में बैंक के पास उपलब्ध हेडरूम, भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त पूंजी समर्थन प्रदान करेगा। इस प्रकार बैंक के पूंजी जोखिम का यथेष्ट ध्यान रखा गया है। भारत सरकार, जो बैंक में बड़ा शेयरधारण रखता है, पूँजी पर्याप्तता को बढ़ाने के लिए नई पूँजी को बढ़ावा दे रहा है। भविष्य में, बैंक आय को बनाए रखकर तथा बेसल III अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में बाज़ार की शर्तों पर आधारित बाज़ार से नई पूँजी के आधान के ज़रिए उपयुक्त कदम उठाएगा।

बेसल III फ्रेमवर्क के अंश के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने लीवरेज अनुपात अवधारणा शुरू की है। लीवरेज अनुपात टायर I पूँजी (कॉमन इक्विटी + अतिरिक्त टायर I) तथा कुल जोखिम (बेसल III के तहत परिभाषितानुसार) का अनुपात है। लीवरेज अनुपात का अनुरक्षण तिमाही आधार पर किया जाना है। प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर संगणना का आधार ''पूँजी की परिभाषा (पूँजी उपाय) तथा कुल जोखिम (जोखिम उपाय) पर आधारित है।'' भारत में परिचालित बैंकों के लिए तिमाही आधार पर लीवरेज अनुपात तथा 01 अप्रैल 2015 से प्रदत्त टेम्पलेट्स के अनुसार तिमाही आधार पर इसके संघटकों का प्रकटीकरण किया जाना अपेक्षित है। पहला प्रकटीकरण 30 जून 2015 को समाप्त तिमाही के लिए किया जाना है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) तथा निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) जैसी दो न्यूनतम मानकों के संबंध में दिशानिर्देश ज़ारी किया है। संभाव्य चलस्थितियों से संबंधी बाधाएँ उत्पन्न होने पर 30 दिनों तक गंभीर मौद्रिक तनाव की स्थिति से जूझने के लिए बैंक के पास पर्याप्त उच्च गुणवत्तापूर्ण चल आस्तियों को सुनिश्चित करते हुए एलसीआर बैंको को अल्पकालिक सुदृढ़ता प्रदान करता है। एनएसएफआर नियमित आधार पर वित्तपोषण के और अधिक स्थाई स्रोतों के साथ बैंकों को उनके कार्यकलापों के वित्तपोषण हेतु अनुरोध करके दीर्घकालिक सुदृढ़ता प्रदान करता है। एलसीआर व एनएसएफआर अपीक्षाएँ क्रमश: 1 जनवरी 2015 तथा 1 जनवरी 2018 से बैंकों पर बाध्य होंगी। बैंकों को संक्रमण अवधि प्रदान करने के मद्देनज़र कैलेंडर वर्ष 2015 के लिए अपेक्षा न्यूनतम 60% होगी अर्थात यह 1 जनवरी 2015 से प्रभावी होगी और नीचे दी गई समय सीमा के अनुसार 1 जनवरी 2019 को 100% के न्यूनतम अपेक्षित स्तर को प्राप्त करने के लिए समान चरणों में बढ़ोतरी अपेक्षित है:

	1 जनवरी 2015	1 जनवरी 2016	1 जनवरी 2017	1 जनवरी 2018	1 जनवरी 2019
न्यूनतम एलसीआर	60%	70%	80%	90%	100%

वर्तमान कैलेंडर वर्ष के लिए 31.03.2017 को बैंक का एलसीआर 181.36% पर रहा जो भारिबैं द्वारा निर्धारित 80% के स्तर से भली भाँति ऊपर है। 31.03.2017 तक रुपए 16740.24 करोड़ के साथ बैंक के पास उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियों का मजबूत आधार है। बैंक के पास सरकारी प्रतिभूतियां रुपए 9959.31 मूल्य की हैं जो न्यूनतम एसएलआर अपेक्षा से अधिक है। बैंक के पास आकस्मिक नकदी बाह्य प्रवाह को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

राशि रु.करोड़ में

31.03.2017 तक

ख) उधार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकत	
• मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार पोर्टफोलियो	12478.12
• प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र	0.00
ग) बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता	
• मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	
- ब्याज दर जोखिम	626.48
- विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण मिलाकर)	5.43
- ईक्विटी जोखिम	664.49
घ) परिचालनगत जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता	
• मूल संकेतक दृष्टिकोण	1143.79
ड.) कुल व टायर I पूँजी अनुपात	
उच्च समेकित समूह हेतु ; तथा	
• कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर)	10.50%
• कुल सीआरएआर (विवेकपूर्ण फ्लोर के लागू होने पर)	10.50%
• कुल टायर I पूंजी अनुपात (टायर I सीआरएआर)	8.21%
• सामान्य ईक्विटी टायर-I पूंजा अनुपात	7.58%

तालिका डीएफ-3

उधार जोखिम : सभी बैंकों के लिये सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

उधार जोखिम उधारकर्ताओं या प्रतिपक्षियों की ऋण गुणवत्ता में ह्रास से जुड़ी हानियों की संभावना है। बैंक के पोर्टफोलियो में उधार जोखिम अधिकांशत: बैंक के उधार क्रियाकलापों तथा बैंक के निवेश संबंधी कार्यकलापों से उत्पन्न होता है यदि उधारकर्ता/प्रतिपक्षी ऋणदाता/ निवेशक के प्रति अपनी वित्तीय बाध्यताओं को पूरा नहीं कर पाता है। यह उधारकर्ता या प्रतिपक्षियों की उधार गुणवत्ता / साख में संभाव्य परिवर्तनों से उत्पन्न होता है। उधार जोखिम में काउंटर पार्टी जोखिम और देश जोखिम भी शामिल हैं।

उधार रेटिंग और मूल्यांकन प्रक्रिया

बैंक उधारकर्ता और पोर्टफोलियो स्तर पर जोखिम के निरन्तर मापन व प्रबोधन के ज़रिए अपने उधार जोखिम का प्रबंधन करता है। बैंक में मजबूत आंतरिक उधार रेटिंग फ्रेमवर्क और सुस्थापित मानकीकृत उधार मूल्यांकन / अनुमोदन

Tier-1 CRAR of 7% with a minimum CET 1 of 5.5%. Total Capital (Tier 1 Capital plus Tier 2 Capital) must be at least 9% of RWAs on an ongoing basis. Thus, within the minimum CRAR of 9%, Tier 2 capital can be admitted maximum up to 2%. In addition to the minimum Common Equity Tier 1 capital of 5.5% of RWAs, banks are also required to maintain a capital conservation buffer (CCB) of 2.5% of RWAs in the form of Common Equity Tier 1 capital with a transitional arrangement from 31.03.2016 to 31.03.2019 at 0.625% every year.

The Bank has put in place a policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) and the framework in consideration of the relevant risk factors of the bank as a measure towards adequacy of capital available to meet the residual risk as part of Pillar 2 requirements of the revised framework commensurate with the bank's overall risk profile. In framing the policy the bank has taken into consideration the requirements prescribed by the RBI in their guidelines and bank's risk appetite.

As regards the adequacy of capital to support the future activities, the bank draws assessment of capital requirements periodically taking into account future growth of business. The surplus CRAR maintained by the bank acts as a buffer to support the future activities. Moreover, the headroom available to the bank in the Tier-1 and Tier-2 capital components provides additional capital support to meet the future needs. Thereby, the capital risk of the bank is adequately addressed. Government of India, which is the major share holder in the bank, has been subscribing fresh capital to augment capital adequacy. In future, the bank shall take suitable steps to augment the capital by retention of earnings and through infusion of fresh capital from the market depending upon the market conditions in order to meet the Basel III requirements.

As part of Basel III framework RBI has introduced Leverage Ratio concept. The leverage ratio is the ratio of Tier-1 capital (Common Equity + Additional Tier I) and total exposure (as defined under Basel III). The leverage ratio has to be maintained on a quarterly basis. The basis for calculation at the end of each quarter is "based on the definition of capital (the capital measure) and total exposure (the exposure measure). Banks operating in India are required to make **disclosure** of the leverage ratio on quarterly basis and its components from April 1, 2015 on a quarterly basis as per the templates given. First disclosure required to be made for the quarter ending June 30, 2015.

RBI has issued guidelines on two minimum standards Viz. Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR) for funding liquidity. The LCR promotes short term resilience of banks to potential liquidity disruptions by ensuring that bank have sufficient high quality liquid assets (HQLA) to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. The NSFR promotes resilience over longer term time horizons by requiring banks to fund their activities with more stable sources of funding on an ongoing basis. The LCR and NSFR requirement would be binding on banks from January 1, 2015 and January 1, 2018 respectively. With a view to provide transition time for banks, the requirement would be minimum of 60% for the calendar year 2015 i.e with effect from January 1, 2015 and rise in equal steps to reach the minimum required level of 100% on January 1, 2019 as per the time line given below:

Particulars	January 1, 2015	January 1, 2016	January 1, 2017	January 1, 2018	January 1, 2019
Minimum LCR	60%	70%	80%	90%	100%

LCR for the bank as on 31.03.2017 stood at 181.36% which is well above the RBI stipulated level of 80% for the current calendar year. Bank is having a strong built up of High Quality Liquid Assets at Rs.16740.24 Crore as on 31.03.2017. Bank is having government securities to the worth of Rs.9959.31 Crore in excess to the minimum SLR requirements. Bank is having enough liquidity to meet sudden cash outflows.

Quantitative disclosures

(Rs. in crore)
As on 31.03.2017

a) Capital requirements for credit risk	
• Portfolios subject to standardised approach	12487.12
• Securitisation exposures	0.00
b) Capital requirements for market risk:	
• Standardised duration approach	
- Interest rate risk	626.48
- Foreign Exchange risk (including gold)	5.43
- Equity risk	664.49
c) Capital requirements for operational risk	
• Basic indicator approach	1143.79
d) Total and Tier 1 capital ratio:	
For the top consolidated group; and	
• Total Capital Ratio (CRAR)	10.50%
• Total CRAR (Subject to application of Prudential Floor)	10.50%
• Total Tier I Capital Ratio (Tier I CRAR)	8.21%
• Common Equity Tier-I Capital Ratio	7.58%

Table DF-3

CREDIT RISK: GENERAL DISCLOSURES FOR ALL BANKS

Qualitative disclosures

Credit Risk is the possibility of losses associated with diminution in the credit quality of borrowers or counter parties. In a Bank's portfolio, Credit Risk arises mostly from lending and investment activities of the Bank if a borrower / counterparty is unable to meet its financial obligations to the lender/investor. It emanates from changes in the credit quality/worthiness of the borrowers or counter parties. Credit risk also includes counterparty risk and country risk.

Credit rating and Appraisal Process

The Bank manages its credit risk through continuous measuring and monitoring of risks at obligor (borrower) and portfolio level. The Bank has a robust internal credit rating framework and well-established standardized credit appraisal / approval process. Credit rating is a facilitating process that enables the bank to assess the inherent merits and demerits of a proposal. It is a

प्रक्रिया है। उधार रेटिंग एक उत्प्रेरक प्रक्रिया है जो बैंक को प्रस्ताव गुणों और अवगुणों के मूल्यांकन में सहायक है। यह निर्णय लेने में सहायक साधन है जो किसी उधार प्रस्ताव की स्वीकार्यता पर विचार करने में बैंक की सहायता करती है।

रेटिंग मॉडल फैक्टर गुणात्मक और मात्रात्मक, प्रबंधन जोखिम, व्यापार जोखिम, उद्योग जोखिम, वित्तीय जोखिम, परियोजना जोखिम (जहाँ कहीं लागू हो) और सुविधा जोखिम से संबंधित आंतरिक रेटिंग कारक हैं। क्रिसिल द्वारा समर्थित उद्योग जोखिम आंकड़े बाज़ार की परिस्थितियों के आधार पर निरन्तर अद्यतन किए जाते हैं।

एक धारणा के रूप में उधार रेटिंग बैंक के अन्दर अच्छी तरह अन्तर्निहित हो गया। मजबूत उधार जोखिम प्रबंधन व्यवहार के उपाय के रूप में बैंक ने ऋण रेटिंग प्रक्रिया की तीन टायर प्रणाली कार्यान्वित की है जिसमें निर्धारित स्तरों पर उधार रेटिंग के वैधीकरण के लिए जो उच्चतर दृष्टिकोणों को अपनाने के लिए आवश्यक उधारकर्ताओं के लिए बिना किसी पक्षपात के रेटिंग करने की दृष्टि से उधार विभाग द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाता है। बैंक के प्रधान कार्यालय के अधिकार के अन्दर आनेवाले प्रस्तावों के लिए रेटिंग का वैधीकरण जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा किया जाता है। उधार रेटिंग का लाभ यह है कि इससे जोखिम के आधार पर विभिन्न प्रस्तावों का प्रवर्गीकरण किया जाता है और अर्थपूर्ण तुलना की जा सकती है। बैंक ने 02/01/2017 से राशि का लिहाज किए बिना पुष्पक (वाहन ऋण), निर्बंध ऋण व आवास ऋण के लिए '' रिटेल स्कोरिंग मॉडेल्स'' स्थापित किए हैं ।

बैंक ऋणों तथा अग्रिमों की मंजूरी के लिए एक सुस्पष्ट परिभाषित बहु स्तरीय विवेकाधिकार संरचना का अनुसरण करता है। उपयुक्त मंजूरीकर्ता प्राधिकर्ताओं को नए / संवर्धित प्रस्तावों पर विचार करने के लिए अपवाद स्वरूप बड़ी शाखाओं / क्षेत्रीय कार्यालयों / केन्द्रीय कार्यालय में सभी स्तरों पर अनुमोदन समितियाँ गठित की गयी है। शाखा प्रबंधकों को विशिष्ट मंजूरी शक्तियाँ प्रदान की गई है। बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी) के अतिरिक्त विभिन्न स्तरों पर केन्द्रीय कार्यालय की शक्तियों के अधीन / अंतर्गत ऋण प्रस्तावों की मँजूरी पर विचार करने के लिए बैंक ने तीन समितियों यथा ए) एमडी व सीईओ की अध्यक्षता वाली ऋण अनुमोदन समिति (सीएसी) बी) कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता वाली प्रधान कार्यालय स्तरीय ऋण अनुमोदन समिति (एचएलसीसी-ईडी) तथा सी) प्रदत्त शक्तियों के साथ वरिष्ठतम महाप्रबंधकों की अध्यक्षता वाली प्रधान कार्यालय स्तरीय ऋण अनुमोदन समिति ((एचएलसीसी-जीएम) का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त ऋण प्रस्तावों की मँजूरी हेतु प्रदत्त शक्तियों के साथ अंचल प्रमुख की अध्यक्षता में अंचल स्तर ऋण समितियों (जेडएलसीसी) तथा क्षेत्रीय प्रमुख की अध्यक्षता में क्षेत्र स्तरीय ऋण समितियों (आरएलसीसी) का गठन किया गया है। परिणामत: शाखा प्रमुखों से इतर कोई भी कार्यपालक वैयक्तिक स्तर पर ऋण प्रस्तावों की मँजूरी हेतु विवेकाधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता है।

बैंक द्वारा आरंभ किए गए नए उत्पाद अनुमोदन के लिए, उनमें निहित जोखिम प्रकार पर आधारित केन्द्रीय कार्यालत स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा जांचे जाते हैं। फिर उत्पाद/ प्रक्रिया/सेवा की शुरूआत करने से पहले केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर उत्पाद/प्रक्रिया जोखिम शमन समिति (पीआरएमसी) व कारोबार प्रक्रिया पुनरभियांत्रीकरण समिति (बीपीआर) नामक दो नई समितियों द्वारा जाँची जाएंगी। यह टर्नअराउण्ड समय (टीएटी) को कम करेगा व नए उत्पादों को शुरू करते समय उनमें लगने वाले समय में सुधार करेगा या मौजूदा उत्पाद/ प्रक्रिया/सेवा में परिवर्तन लाएगा।

उधार जोखिम प्रबंधन नीतियाँ

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित सुसंरचित ऋण नीति और उधार जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है। इस नीति में संगठन की संरचना, भूमिका और उत्तरदायित्व और उन प्रक्रियाओं का उल्लेख है जहाँ बैंक द्वारा वहन किए जाने वाले ऋण जोखिम को पहचाना जा सकता है, उसकी मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है और फ्रेमवर्क के अंदर प्रबंधन किया जा सकता है जिसे बैंक अपने अधिदेश और जोखिम सहन करने की क्षमता के साथ निरन्तर जोखिम मानता है। उधार जोखिम का प्रबोधन बैंक द्वारा बैंक वाइड आधार पर किया जाता है और बोर्ड / आरएमसीबी द्वारा जोखिम सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। उधार नीति समिति (सीपीसी) बैंक की जोखिम वहन क्षमता को हिसाब में लेती है और तदनुसार सुरक्षा, तरलता, विवेकपूर्ण मानदण्डों, एक्सपोज़र सीमाओं से संबंधित मामलों को संभालती है।

बैंक में उत्कृष्ट उधार जोखिम प्रबंधन व्यवहार स्थापित करने के लिए उपाय किए हैं। उधार जोखिम प्रबंधन नीति ऋण के अतिरिक्त निवेश नीति, प्रतिपक्षी जोखिम प्रबंधन नीति और देशीय जोखिम प्रबंधन नीति आदि तैयार की है जो बैंक में उधार जोखिम के प्रबोधन का आंतरिक भाग है। इसके अतिरिक्त बैंक ने संपार्श्विक प्रबंधन और उधार जोखिम कम करने की नीति भी कार्यान्वित की गई है जो बैंक द्वारा सामान्यत: स्वीकार की जाने वाली प्रतिभूतियों (प्रधान और संपार्श्विक) के विवरण और बैंक के हित की रक्षा के लिए ऐसी प्रतिभूतियों के प्रशासन के विवरण निर्धारित करती है। वर्तमान में, कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियां उन उधार जोखिमों को कम करती हैं जो बैंक को वहन करना पड़ सकता है।

(रु. करोड़ में)

मात्रात्मक प्रकटीकरण	**31.03.2017**
क. कुल सकल उधार जोखिम एक्सपोज़र,	
निधि आधारित	232712.85
गैर निधि आधारित	20181.09
कुल	252893.94
ख. प्रकटीकरण का भौगोलिक वितरण	
- **देशीय**	142650.51
निधि आधारित	24351.34
गैर निधि आधारित	
- **विदेशी**	14125.30
निधि आधारित	1889.47
गैर निधि आधारित	
ग. प्रकटीकरण के औद्योगिक प्रकार का वितरण, निधि आधारित और गैर-निधि आधारित अलग-अलग	अनुबंधित
घ. आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता ब्रेकडाउन	अनुबंधित
ङ. एनपीए (सकल) की राशि	35098.25
- अवमानक	9163.55
- संदिग्ध (डी1,डी2,डी3)	24609.29
- हानि	1325.41
च. निवल एनपीए	19749.32

decision enabling tool that helps the bank to take a view on acceptability or otherwise of any credit proposal.

The rating models factor quantitative and qualitative attributes relating to Risk components such as Industry Risk, Business Risk, Management Risk, Financial Risk, Project risk (where applicable) and Facility Risk etc. The data on industry risk is regularly updated supported by CRISIL based on market conditions.

Credit rating as a concept has been well internalized within the bank. As a measure of robust credit risk management process, the bank has implemented a tiered system for validation of credit ratings at specified levels which is independent of credit departments, in order to draw unbiased rating for borrowers necessary for moving to advanced approaches. In respect of proposals falling under powers of Bank's Central Office, the validations of ratings are done at Risk Management Dept. The advantage of credit rating is that it enables to rank different proposals based on risk and do meaningful comparisons. Bank has implemented "Retail Scoring Models" for Pushpaka (Vehicle Loan), Clean Loan and Housing loan irrespective of the amount w.e.f 02.01.2017.

The bank follows a well-defined multi layered discretionary power structure for sanction of loans and advances. Approval Committees has been constituted at all levels covering Exceptionally Large branch / RO / CO for recommending fresh/ enhancement proposal to appropriate sanctioning authorities. Specific Sanctioning Powers have been delegated to Branch Managers. In addition to the Management Committee of the Board (MCB), the bank has constituted three committees such as (a) Credit Approval Committee (CAC) headed by MD & CEO (b) Head Office Level Credit Approval Committee headed by Executive Director (HLCCED) and (c) Head Office Level Credit Approval Committee headed by senior most General Manager (HLCCGM) with delegated powers to consider sanction of credit proposals falling under Central Office powers at different levels. Further, Zonal Level Credit Committees (ZLCC) headed by the Zonal Head and Regional Level Credit Committees (RLCC) headed by the Regional Head have also been formed at all Zonal Offices and Regional Offices with suitable delegated power for sanction of credit proposals. Consequently, no Executives beyond Branch Heads exercise any discretionary powers for sanction of credit proposals at individual level.

The new Products/Process/Services introduced by Bank and Modification of existing Product/Process/Services are examined at the head office level by Risk Management Department depending upon the type of risks involved in the new product / process. Then it shall be examined by newly introduced two committees at head office level namely Product/Process Risk Mitigation Committee (PRMC) and Business Process Re-engineering committee (BPR) before launching product/process/ service. This will reduce the Turn Around Time (TAT) and to improve the time-to market introduction of new products or to effect changes to existing products/process/services.

Credit Risk Management Policies

The bank has put in place a well-structured loan policy and credit risk management policy duly approved by Board. The policy document defines organizational structure, role and responsibilities and processes whereby the Credit Risk carried by the Bank can be identified, quantified and managed within the framework that the Bank considers consistent with its mandate and risk tolerance. Credit risk is monitored by the bank on a bank-wide basis and compliance with the risk limits approved by Board / RMCB is ensured. The Credit Policy Committee (CPC) takes into account the risk tolerance level of the Bank and accordingly handles the issues relating to Safety, Liquidity, Prudential Norms and Exposure limits.

The bank has taken earnest steps to put in place best credit risk management practices in the bank. In addition to Loan Policy and Credit Risk Management Policy, the bank has also framed Funds and Investment Policy, Counter Party Risk Management Policy and Country Risk Management Policy etc., which forms integral part of monitoring of credit risk in the bank. Besides, the bank has implemented a policy on collateral management and credit risk mitigation which lays down the details of securities (both prime and collateral) normally accepted by the Bank and administration of such securities to protect the interest of the bank. Presently, some select securities act as mitigation against credit risk (in capital computation), to which the bank is exposed.

(Rs. in crore)

Quantitative Disclosures		**31.03.2017**
a)	Total gross credit risk exposures:	
	Fund based	232712.85
	Non fund based	20181.09
	Total	252893.94
b)	Geographic distribution of exposures,	
	• **Domestic**	
	Fund based	142650.51
	Non Fund based	24351.34
	• **Overseas**	
	Fund based	14125.30
	Non Fund based	1889.47
c)	Industry type distribution of exposures, fund based and non-fund based separately	Annexed
d)	Residual contractual maturity breakdown of assets	Annexed
e)	Amount of NPAs (Gross)	35098.25
•	Substandard	9163.55
•	Doubtful (D1, D2, D3)	24609.29
•	Loss	1325.41
f)	Net NPAs	19749.32

छ. एनपीए अनुपात - और सकल अग्रिम के प्रति सकल एनपीए - निवल अग्रिम के प्रति निवल एनपी	 22.39% 13.99%
ज. एनपीए का प्रचलन (सकल) - प्रारंभिक शेष (01.04.2016) - जोड - घटाव - अन्तिम शेष (31.03.2017)	 30048.63 13003.70 7954.08 35098.25
झ. एनपीए के लिए प्रावधानों का प्रचलन - प्रारंभिक शेष (01.04.2016) - अवधि के दौरान किए गए प्रावधान - अत्यधिक प्रावधान बट्टे खाते में डालना/ प्रतिलेखन - अन्तिम शेष (31.03.2017)	 9743.38 6948.26 2541.67 14149.97
ञ. अनर्जक निवेशों की राशि	283.98
त. अनर्जक निवेशों के लिए किए गए प्रावधानों की राशि	152.51
थ. निवेशों पर मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान का उतार-चढ़ाव - प्रारंभिक शेष - अवधि के दौरान किए गए प्रावधान - अत्यधिक प्रावधान बट्टे खाते में डालना/ प्रतिलेखन - अन्तिम शेष	 436.74 117.81 94.48 460.07

आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता ब्रेकडाउन

(रु.करोड़ में)

विवरण	राशि
दिन 1	17045.92
2-7 दिन	10260.66
8 दिन से 14 दिन	6906.68
15 दिन - 30 दिन	6044.25
31दिन - 2 माह	13371.04
2 माह - 3 माह	17431.13
3 माह - 6 माह	18217.47
>6 माह - 12 माह	31158.41
>1 वर्ष - 3 वर्ष	41792.02
>3 वर्ष - 5 वर्ष	18781.04
> 5 वर्ष	72491.99

उद्योगवार ऋण प्रकटीकरण

(रु.करोड़ में)

उद्योग का नाम	बकाया
खान व क्वेरियिंग	1,512.04
खाद्य प्रसंस्करण	2,185.31
उनमें से चीनी	889.19
उनमें से खाद्य तेल और वनस्पति	508.85
पेय और तम्बाकू उत्पाद	33.55
जूट वस्त्र उद्योग	1,766.02
हस्तशिल्प / खादी (गैर प्राथमिक)	133.99
अन्य वस्त्र उद्योग	1,487.78
चमड़ा और चमड़ा उद्योग	551.41
लकड़ी और लकड़ी उत्पाद	621.00
कागज और कागज उत्पाद	587.49
पेट्रोलियम (गैर -इन्फ्रा), कोयला उत्पाद (गैर -खनिज) एवं नाभिकीय ईंधन	804.48
रसायन व रसायन उत्पाद (डाइ, पेन्टस आदि)	1,632.44
उनमें से उर्वरक	137.20
उनमें से औषधि और फार्मास्युटिकल	663.85
उनमें से अन्य	831.39
रबर प्लास्टिक और रबर उत्पाद	816.72
ग्लास और ग्लासवेयर	94.88
सीमेंट और सीमेंट उत्पाद	970.94
लौह एवं स्टील	13,449.60
अन्य धातु व धातु उत्पाद	3,358.30
सभी इन्जीनियरिंग	5,033.12
उसमें से इलेक्ट्रानिक्स	1,133.16
वाहन ,वाहन के भाग, परिवहन साधन	2,315.78
बहुमूल्य रत्न व आभूषण	1,264.53
निर्माण	1,180.69
इन्फ्रास्ट्रक्चर	22,377.84
उसमें से रोडवेज़	7,850.91
उसमें से ऊर्जा	10,526.34
उनमें से दूर संचार	1,372.81
अन्य उद्योग	505.62
शेष सकल अग्रिमों के प्रति अवशिष्ट अग्रिम	94,092.28
उनमें से उड्डयन क्षेत्र को	901.75
कुल ऋण और अग्रिम	**1,56,775.81**

g) NPA Ratios	
• Gross NPAs to gross advances	22.39%
• Net NPAs to net advances	13.99%
h) Movement of NPAs (Gross)	
• Opening balance (01.04.2016)	30048.63
• Additions	13003.70
• Reductions	7954.08
• Closing balance (31.03.2017)	35098.25
i) Movement of provisions for NPAs	
• Opening balance (01.04.2016)	9743.38
• Provisions made during the period	6948.26
• Write off / Write back of excess provisions	2541.67
• Closing balance (31.03.2017)	14149.97
j) Amount of Non-Performing Investments	283.98
k) Amount of provisions held for non-performing investments	152.51
l) Movement of provisions for depreciation on investments	
• Opening Balance	436.74
• Provisions made during the period	117.81
• Write-off / Write-back of excess provisions	94.48
• Closing Balance	460.07

Residual contractual Maturity break down of Assets

(Rs. in crore)

Particulars	**Amount**
Day 1	17045.92
2 Days – 7 Days	10260.66
8 Days – 14 Days	6906.68
15 Days – 30 Days	6044.25
31 Days – 2 Months	13371.04
2 Months – 3 Months	17431.13
3 Months – 6 Months	18217.47
>6 Months – 12 Months	31158.41
>1 Year – 3 Years	41792.02
>3 Years – 5 Years	18781.04
> 5 Years	72491.99

INDUSTRY WISE EXPOSURES

(Rs. in crore)

Industry Name	**Outstanding as on 31.03.2017**
Mining and quarrying	1,512.04
Food Processing	2,185.31
Of which Sugar	889.19
Of which Edible Oils and Vanaspati	508.85
Beverages and Tobacco	33.55
Cotton Textiles	1,766.02
Handicraft/ Khadi (Non Priority)	133.99
Other Textiles	1,487.78
Leather and Leather Products	551.41
Wood and Wood Products	621.00
Paper and Paper Products	587.49
Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	804.48
Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.,)	1,632.44
Of which Fertilisers	137.20
Of Which Drugs and Pharmaceuticals	663.85
Of which Others	831.39
Rubber, Plastic and their products	816.72
Glass & Glassware	94.88
Cement and Cement Products	970.94
Iron and Steel	13,449.60
Other Metal and Metal Products	3,358.30
All Engineering	5,033.12
Of which Electronics	1,133.16
Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	2,315.78
Gems and Jewellery	1,264.53
Construction	1,180.69
Infrastructure	22,377.84
Of which Roadways	7,850.91
Of which Energy	10,526.34
Of which Telecommunications	1,372.81
Other Industries	505.62
Residuary Other Advances	94,092.28
Of which Aviation Sector	901.75
Total Loans and Advances	1,56,775.81

तालिका डी एफ-4

उधार जोखिमः मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुरूप पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण (31.03.2017 तक)

गुणात्मक प्रकटीकरणः

सामान्य सिद्धान्त

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने से उधार जोखिम के लिए पूंजी के परिकलन के लिए बैसल III पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क के मानकीकृत दृष्टिकोण को अपना लिया है। पूँजी के परिकलन में बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुसार जोखिम भारों को विभिन्न आस्ति प्रवर्गों में आबंटित कर दिया है।

मानकीकृत उपागम के तहत क्रेडिट जोखिम हेतु पूंजी की गणना के लिए व्यक्तिगत / प्रत्येक ऋणों को लिया गया है। जहँ पर एक्सपोज़र पूरी तरह से प्रतिभूतित हैं जैसे आभूषण ऋण, सावधिक जमाएं/ उपलब्ध जीवन बीमा पॉलिसी इत्यादि, चूंकि उच्च लाभप्रदता के कारण उचित मार्जिन लागू करने के बाद न्यूनीकरण उपलब्ध एक्सपोज़र से होता है इसलिए ये लोन उपलब्ध उधार जोखिम शामक (सीआरएम) के विरुद्ध पूर्णत: नेटेड होते हैं।

बाहरी उधार रेटिंग

पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल III) के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों को देखते हुए बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सियों (ईसीआरए) द्वारा उधारकर्ताओं की रेटिंग का महत्व बढ़ गया है। बाहरी रेटिंग के आधार पर कार्पोरेट / पीसीई / प्राइमरी डीलरों को एक्सपोज़र को जोखिम भार आबंटित किया गया है। इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को छ: देशीय ईसीआरए जैसे उधार विश्लेषण और शोध लि.(सीएआरई),क्रिसिल लि, फिच इंडिया (इंडिया रेटिंग्स के रूप में पुनर्नामित) लि.और इकरा लि.,ब्रिकवर्क्स रेटिंग सर्विसेज़ लि. और छोटे एवं मध्यम उद्यम रेटिंग एजेंसी लि. (एसएमईआरए) की रेटिंग का प्रयोग करने की अनुमति दी है।

उपरोक्त के मद्देनजर बैंक ने पूँजी राहत के उद्देश्य से इन सभी ईसी आर ए द्वारा प्रदत्त रेटिंग को स्वीकार करने का निर्णय किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग बही में तुलनात्मक आस्ति पर पब्लिक ईश्यू की मैपिंग के लिए प्रावधान किया है । तथापि यह विशेष प्रावधान उधार जोखिम पूँजी की गणना में नहीं लिया जाता है ।

बैंक पूँजी परिकलन उद्देश्यों के लिए केवल सालिसिटेड बाहरी रेटिंग्स का उपयोग करता है ।उधारकर्ता अपनी रेटिंग के लिए स्वयं की इच्छा पर उक्त इसीआरए में से किसी एक या अधिक से संपर्क कर सकता हैं । 15 महीनों के दौरान दी गई नई या पुनरीक्षित रेटिंग को ही बैंक द्वारा पूंजी के अभिकलन के लिए हिसाब में लिया जाता है। जहां कहीं किसी उधारकर्ता को बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सी से एक या अधिक रेटिंग मिली है, वहां पूंजी के अभिकलन के लिए जोखिम भार के आबंटन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जाना है।

आंतरिक क्रेडिट रेटिंग :

किसी उधारकर्ता से जुड़ी हुई उधार जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए बैंक में सुसंरचित आन्तरिक उधार रेटिंग प्रणाली है और तदनुसार प्रस्तावों की स्वीकार्यता और एक्सपोज़र का स्तर तथा कीमत निर्धारण के संबंध में उधार निर्णय लेने के लिए भी प्रणाली है। बैंक ने नए खाते के मामले में प्रवेश स्तर पर रेटिंग निर्धारित किया जाए। प्रवेश स्तर पर से कम रेटिंग वाले खातों पर निर्धारित प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार उच्च प्राधिकारी के द्वारा ही विचार किया जाएगा।

बहरहाल, पूंजी परिकलन के मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत जोखिम भार के अनुप्रयोग के लिए ऐसी रेटिंग को काम में नहीं लाया जा सकता । तदनुसार बैंक ने उधार जोखिम के लिए पूंजी का परिकलन करते समय, बैंक की अनुमोदित ईसीआरए द्वारा अनुमोदित उधार रेटिंग एजेन्सियों द्वारा आबंटित उधारकर्ता की ऋण एक्सपोज़र रेटिंग को कार्पोरेट और पीएसई के तहत 31.3.2017 तक लिया है।

कार्पोरेट / पीएसई के विशेष निर्गमों में निवेश के मामले में अनुमोदित बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सी की किसी निर्गम विशेष के लिए रेटिंग को हिसाब में लिया जाता है और तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में दी गई रेटिंग स्केल की समवर्ती वित्तीय स्थिति के बाद जोखिम भार का अनुप्रयोग किया जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार विदेश में दिए गए उधारों के पूंजी परिकलन के उद्देश्य से फिच, मूडीस और एस एण्ड पी अन्तरराष्ट्रीय रेटिंग एजेन्सियों, जो भी उपलब्ध हो, द्वारा आबंटित रेटिंग का प्रयोग किया गया है।

मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पूंजी के परिकलन के अनुरूप बाहरी रेटिंग द्वारा भारत में एक्सपोज़र के कवरेज के संबंध में प्रक्रिया को उधारकर्ताओं के बीच प्रचलित किया जाना है ताकि अपने ग्राहकों की बेहतर रेटिंग के लिए उपलब्ध पूंजी राहत लाभ उठाया जा सके। उधारकर्ताओं द्वारा अपने कारोबार विकास के लिए बाहरी रेटिंग को अवसर के रूप में विचार करना चाहिए, जिसमें समय लग सकता है ।

<u>प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण</u>

(रु.करोड़ में)

वर्गीकरण	कम करने के पश्चात एक्सपोजर (इएएम)	बाहरी रेटिंग के अधीन आवरित इएएम	रेटिंग नहीं की गई
<u>अग्रिम / निवेश</u>			
100% जोखिम भार से कम	100226.50	10179.52	90046.98
100% जोखिम भार	75308.07	10830.37	64477.70
100% जोखिम भार से अधिक	16326.72	1666.63	14860.10
घटाएँ	0.00	0.00	0.00
<u>कुल</u>	**191861.28**	**22676.52**	**169184.77**

Table DF-4

CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH (as on 31.03.2017)

Qualitative disclosures

General Principle

In accordance with the RBI guidelines, the Bank has adopted Basel II Capital Adequacy Framework for computation of capital for credit risk. In computation of capital, the bank has assigned risk weight to different asset classes as prescribed by the RBI from time to time.

In computation of capital for Credit risk under Standardized Approach, individual exposures are captured. Where the exposures are fully secured such as Jewel Loans, Loans against Term deposits/approved insurance policies etc, these loans are fully netted against available credit risk mitigants (CRM), as the mitigation higher than the exposure is available after applying the applicable hair cut due to higher margin prescription.

External Credit Ratings

Ratings of borrowers by External Credit Rating Agencies (ECRA) assume importance in the light of Guidelines for implementation of the Basel II Capital Adequacy Framework. Exposures on Corporates / Public Sector Enterprises/ Primary Dealers are assigned with risk weights based on available external ratings. For this purpose, the Reserve Bank of India has permitted Banks to use the ratings of six domestic ECRAs viz. Credit Analysis and Research Ltd (CARE), CRISIL Ltd, FITCH India (renamed as India Ratings) and ICRA Ltd, Brickworks Rating Services India Ltd and Small and Medium Enterprises Rating Agency Ltd (SMERA)

In consideration of the above, the Bank has decided to accept the ratings assigned by all these ECRAs for capital relief purpose. The RBI has provided for mapping public issue ratings on to comparable assets into banking book. However, this particular provision has not been taken into account in Credit Risk Capital Computation.

The bank uses only solicited external ratings for capital computation purpose. Borrowers at their option can approach any one or more of the above ECRAs for their rating. External ratings assigned fresh or reviewed during the previous 15 months are reckoned for capital computation by the bank. Wherever a borrower possesses more than one rating from ECRAs the guidelines prescribed by the RBI are followed as regards to assignment of risk weight for computation of capital.

Internal Credit Rating

The bank has a well structured internal credit rating mechanism to evaluate the credit risk associated with a borrower and accordingly the systems are in place for taking credit decision as regards the acceptability of proposals and level of exposures and pricing. The bank has prescribed entry level rating in case of new accounts. Accounts with ratings below the entry level can be considered only by higher authorities as per the delegated powers prescribed.

Presently, the internal ratings cannot be used for application of risk weight under Standardised Approach of capital computation. The bank takes into consideration the borrower's loan exposure credit ratings assigned by the approved ECRAs while computing the capital for credit risk as on 31.3.2017 under corporate and PSE segments.

In case of investment in particular issues of Corporates / PSEs, the issue specific rating of the approved ECRAs are reckoned and accordingly the risk weights have been applied after a corresponding mapping to rating scale provided in RBI guidelines.

For the purpose of capital computation of overseas exposures, ratings assigned by the international rating agencies namely Fitch, Moody's and Standard & Poor's are used as per RBI guidelines.

As regards the coverage of exposures in India by external ratings as relevant for capital computation under Standardised Approach, the process needs to be popularized among the borrowers so as to take the benefit of capital relief available for better-rated customers. The borrowers need to consider the external rating as an opportunity for their business development, which would take some time.

Quantitative Disclosures

(Rs. in crore)

Classification	Exposure after Mitigation (EAM)	EAM covered under External Rating	Unrated
ADVANCES / INVESTMENT			
Below 100% risk weight	100226.50	10179.52	90046.98
100% risk weight	75308.07	10830.37	64477.70
More than 100% risk weight	16326.72	1666.63	14860.10
Deducted	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**191861.28**	**22676.52**	**169184.77**

अन्य आस्तियाँ			
100% जोखिम भार से कम	21864.76	59.19	21805.57
100% जोखिम भार	10127.65	0.00	10127.65
100% जोखिम भार से अधिक	22.13	0.00	22.13
घटाएँ	0.00	0.00	0.00
कुल	**32014.54**	**59.19**	**31955.35**

तालिका डीएफ - 5

उधार जोखिम कम करना : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण (31.03.2017 तक)

गुणात्मक प्रकटीकरण

उधार जोखिम को कम करने पर नीति

विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप संपार्श्विक प्रतिभूति प्रबंधन तथा उधार जोखिम को कम करने के तकनीक पर बहुत ही स्पष्ट नीति बैंक द्वारा बनाई गई है जो बैंक के मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित है। नीति में बैंक द्वारा ऋण देते समय सामान्यत: स्वीकार की गई प्रतिभूतियों के प्रकार तथा इसके साथ जुड़े हुए जोखिम को कम करने के बारे में उल्लेख है ताकि बैंक के हित की सुरक्षा / रक्षा हो तथा ऐसी प्रतिभूतियों का प्रशासन / प्रबोधन भी हो।

बैंक द्वारा स्वीकार की गई प्रतिभूतियों (मूल तथा संपार्श्विक दोनों) के प्रमुख प्रकार में स्वर्ण / आभूषण, राष्ट्रीय बचत प्रमाण-प्रत्र (एनएससी), इंदिरा विकास पत्र (आइवीपी), किसान विकास पत्र (केवीपी), शेयर व डिबेंचर, केंद्र तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ, जीवन बीमा पॉलिसियाँ, म्यूच्युअल फंड यूनिटें, अचल संपत्तियाँ, संयंत्र व मशीनरी, माल तथा वाणिज्य वस्तुएँ, माल के हक-विलेख, बहीगत ऋण, वाहन तथा अन्य चल संपत्तियाँ शामिल हैं जिसमें बैंक की अपनी जमाएँ भी हैं । बैंक ने अचल संपत्तियों और संयंत्र तथा मशीनरियों के मूल्यांकन पर सुस्पष्ट नीति बनाई है जो बैंक के मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित है ।

मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत उधार जोखिम कम करना

क) पात्र वित्तीय संपार्श्विक :

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सूचितानुसार बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत उधार जोखिम कम करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है, जो उधार जोखिमों के प्रति प्रतिभूतियों (मूल तथा संपार्श्विक) को संपूर्ण रूप से ऑफसेट करने के लिए अनुमति देता है जिससे प्रतिभूतियों पर आरोपित मूल्य द्वारा जोखिम राशि को प्रभावी ढंग से घटाया जा सकता है। अत: पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों का उधार जोखिम पूँजी के परिकलन में उधार जाखिम को कम करने के लिए पूरा-पूरा उपयोग किया जा सकता है। ऐसा करते समय बैंक ने विशिष्ट प्रतिभूतियों को मान्यता दी है जैसे क) नकद / बैंक जमाएँ ख) स्वर्ण / आभूषण ग) जीवन बीमा पॉलिसी घ) किसान विकास पत्र (2 1/2 वर्ष की लॉक-इन अवधि के बाद), राष्ट्रीय बचत प्रमाण-प्रत्र (एनएससी) व इंदिरा विकास पत्र (आइवीपी) जो भारतीय रिज़र्व बैंक की दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

ख) ऑन बैलेंस शीट नेटिंग :

उधार जोखिम कम करने की तकनीकों तथा संपार्श्विक प्रबंधन के उपयोग पर बैक की नीति के अनुसार उधारकर्ता के ऋण/ अग्रिमों के प्रति उपलब्ध जमाओं की हद तक ऑन बैलेंस शीट नेटिंग की गणना की गई है (ऋण की अधिकतम हद तक),जहाँ बैंक ने भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित दस्तावेज़ के प्रमाण के साथ विशिष्ट ग्रहणाधिकार शामिल करते हुए विधिक लागू नेटिंग व्यवस्थाएँ कीं। ऐसे मामलों में पूंजी गणना निवल उधार एक्सपोज़र के आधार पर किया जाता है।

ग) पात्र गारंटियां:

आगे उधार जोखिम पूँजी के परिकलन में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप जोखिम कम करने के लिए मान्य गारंटियों के प्रकार इस प्रकार हैं - क) केंद्र सरकार (0%) ख) राज्य सरकार (20%) ग) सीजीटीएसआइ (0%) घ) इसीजीसी (20%) ङ) साख-पत्र के अधीन खरीदे / बट्टे खाते में डाले गए बिलों के रूप में बैंक गारंटी (दिशानिर्देशों के अनुसार देशी और विदेशी दोनों)

बैंक ने उधार जोखिम को कम करने के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विधिक निश्चितता के अनुपालन को सुनिश्चित किया है।

उधार जोखिम को कम करने में संकेंद्रीकरण जोखिम:

बैंक द्वारा मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पूँजी की गणना के लिए कई प्रकार के शामक उपाय वाली नीतियां व प्रक्रिया उपलब्ध हैं । उधार जोखिम को कम करने के लिए पात्र सभी प्रकार की प्रतिभूतियाँ (वित्तीय संपार्श्विक) आसानी से उगाही लायक वित्तीय प्रतिभूतियाँ हैं । वर्तमान में बैंक प्रयुक्त क्रेडिट जोखिम शमन में कोई संकेन्द्रण जोखिम नहीं है और वर्तमान में उधार जोखिम कम करने के माध्यमों में प्रत्येक प्रकार के संपर्श्विक की कोई सीमा / उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं किया गया है ।

गुणात्मक प्रकटीकरण

(रु.करोड़ में)

विवरण	**राशि**
प्रत्येक अलग से प्रकटित उधार जोखिम पोर्टफोलियों के लिए , एक्सपोज़र (जहाँ लागू ऑन या ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग के बाद) जो पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा हेयर कट के पश्चात् कवर किया गया है ।	**18759.31**
देशी संप्रभुता	0.00
विदेशी संप्रभुता	0.00
सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां	572.55
बैंकों की अनुसूची(आइ एन आर)	0.00
एफसीवाइ मे विदेशी बैंक दावे	0.00
प्राइमरी डीलर्स (पीडी)	0.00
कार्पोरेट	3941.37
विनियामक रिटेल पोर्टफोलियो (आर आर पी)	9613.58
आवासीय संपत्ति द्वारा प्रतिभूत दावे	17.18
वाणिज्यिक भू संपदा द्वारा प्रतिभूत दावे	50.65
उपभोक्ता ऋण	4127.70

OTHER ASSETS			
Below 100% risk weight	21864.76	59.19	21805.57
100% risk weight	10127.65	0.00	10127.65
More than 100% risk weight	22.13	0.00	22.13
Deducted	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**32014.54**	**59.19**	**31955.35**

Table DF – 5

CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES (as on 31.03.2017)

Qualitative disclosures:

Policy on Credit Risk Mitigation

In line with the regulatory requirements, the bank has put in place a well-articulated policy on collateral management and credit risk mitigation techniques duly approved by the bank's Board. The Policy lays down the type of securities normally accepted by the bank for lending and administration/ monitoring of such securities in order to safeguard /protect the interest of the bank so as to minimize the risk associated with it.

The main types of securities (both prime and collateral) accepted by the Bank includes Bank's own deposits, Gold/Ornaments, National Savings Certificates (NSCs), Indira Vikas Patras(IVPs), Kisan Vikas Patras (KVPs), Shares and debentures, Central and State Govt. securities, Life Insurance Policies, Mutual Fund units, Immovable Properties, Plant and Machinery, Goods and Merchandise, Documents of Title to Goods, Book debts, Vehicles and other moveable assets etc. The bank has also framed a well-defined policy on valuation of immovable properties and Plant and Machineries duly approved by Board.

Credit Risk Mitigation under Standardised Approach

(a) Eligible Financial Collaterals

As advised by RBI, the Bank has adopted the comprehensive approach relating to credit risk mitigation under Standardised Approach, which allows fuller offset of securities (prime and collateral) against exposures, by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the securities. Thus the eligible financial collaterals are fully made use of to reduce the credit exposure in computation of credit risk capital. In doing so, in line with RBI guidelines, the bank has recognized specific securities viz (a) cash/bank deposits (b) gold/ornaments (c) life insurance policies (d) kisan vikas patras (after a lock in period of 2 ½ years), National Savings Certificates (NSCs) and Indira Vikas Patras(IVPs).

(b) On Balance Sheet Nettings

As per Bank's policy on utilization of the credit risk mitigation techniques and collateral management, on–balance sheet netting has been reckoned to the extent of deposits available against loans/advances of the borrower (maximum to the extent of exposure), where bank has legally enforceable netting arrangements involving specific lien with proof of documentation as prescribed by RBI. In such cases, the capital computation is done on the basis of net credit exposure.

(c) Eligible Guarantees

Other approved form of credit risk mitigation is availability of "Eligible Guarantees". In computation of credit risk capital, types of guarantees recognized as mitigation, in line with RBI guidelines are (a) Central Government (0%) (b) State Government (20%), (c) CGTMSE (0%) (d) ECGC (20%) (e) Banks in the form of Bills Purchased/discounted under Letters of Credit (both domestic and foreign banks as per guidelines).

The bank has ensured compliance of legal certainty as prescribed by the RBI in the matter of credit risk mitigation.

Concentration risk in credit risk mitigation

Policies and process are in place indicating the type of mitigants the bank use for capital computation under the Standardised approach. All types of securities (financial collaterals) eligible for mitigation are easily realizable financial securities. As such, the bank doesn't envisage any concentration risk in credit risk mitigation used and presently no limit/ceiling has been prescribed for the quantum of each type of collateral under credit risk mitigation.

Quantitative Disclosures

(Rs. in crore)

Particulars	**Amount**
For each separately disclosed credit risk portfolio, the exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by Eligible Financial Collateral after application of haircuts	**18759.31**
Domestic Sovereign	0.00
Foreign Sovereign	0.00
Public Sector Entities	572.55
Banks – Schedule (INR)	0.00
Foreign Bank claims in FCY	0.00
Primary Dealers	0.00
Corporates	3941.37
Regulatory Retail Portfolio (RRP)	9613.58
Claims secured by Residential Property	17.18
Claims secured by Commercial Real Estate	50.65
Consumer Credit	4127.70
Capital Market Exposure	0.00

पूँजी बाजार एक्सपोज़र	0.00
एन बी एफ सी	100.21
वेंचर पूंजी	0.00
अनर्जक आस्तियाँ - अ) आवास ऋण	0.13
अनर्जक आस्तियाँ - ब) अन्य	140.01
अन्य आस्तियाँ - स्टॉफ ऋण	24.63
अन्य आस्तियाँ	134.44
पुनर्संरचित खाते	0.00
सी.आर.ई. आरएच द्वारा सुरक्षित दावे	36.87
पुनर्संरचित आवास ऋण	0.00

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

(रु.करोड़ में)

विवरण	राशि
प्रत्येक अलग से प्रकटित उधार जोखिम पोर्टफोलियों के लिए, एक्सपोज़र (जहाँ लागू ऑन या ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग के बाद) जो गारंटियों / उधार डेरिवेटिव से कवर हों (जब कभी भारिबैं द्वारा विशेष रूप से अनुमत किया जाए)	**8786.96**
सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां	4468.64
कार्पोरेट	2127.44
विनियामक रिटेल पोर्टफोलियो (आर आर पी)	2190.62
पुनर्संरचित	0.00
पूँजी बाजार ऋण	0.00
सीआरई	0.25
सीआरई -आरएच	0.00

तालिका डीएफ 6
प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण
दिनांक 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए कोई भी प्रतिभूतिकरण नहीं

तालिका डीएफ - 7 ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम
गुणात्मक प्रकटीकरण :
क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह होता है जिससे बैंक को ब्याज दरें, विदेशी मुद्रा विनिमय दरें, ईक्विटी कीमतें तथा पण्य कीमतें जैसे बाजार वेरियबिल्स द्वारा उत्पन्न परिवर्तन / गति के कारण ऑन-बैलेंस शीट तथा ऑफ बैलेंस शीट स्थिति में हानि होने की संभावना है। बाजार जोखिम से बैंक का एक्सपोजर ट्रेडिंग बुक (एएफएस तथा हेचएफटी वर्गों दोनों) में देशी निवेशों (ब्याज संबंधित लिखतों तथा ईक्विटियों), विदेशी विनिमय स्थितियों (बहुमूल्य धातुओं में खुली स्थिति को शामिल करते हुए) तथा ट्रेडिंग से संबंधित डिरेवेटिब्स से उत्पन्न होता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य अर्जन पर हानि के प्रभाव और ईक्विटी पूँजी से उत्पन्न बाजार जोखिम को कम करना है ।

बाजार जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियाँ

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाजार जोखिम प्रबंधन नीति और आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) को लागू किया है ताकि बैंक में बाजार जोखिम का प्रभावपूर्ण प्रबंधन किया जा सके। बाजार जोखिम प्रबंधन को संभालने की अन्य नीतियाँ निवेश नीति, फोरेक्स जोखिम प्रबंधन नीति और डिरैवेटिव नीति हैं । बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन कार्यों और प्रक्रियाओं के लिए सुस्पष्ट संगठनात्मक रूपरेखा निर्धारित करती है जिससे बैंक द्वारा उठाए गए बाजार जोखिम एएलएम फ्रेमवर्क के अंतर्गत बैंक की जोखिम छूट के अनुरूप पहचाने, मापे, प्रबोधित किए तथा नियंत्रित किए जाते हैं। इस नीति में विभिन्न जोखिम सीमाएँ गठित हैं जिससे बाजार जोखिम का प्रभवी प्रबंधन होता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि उचित आस्ति देयता प्रबंधन के जरिए बाजार जोखिम से प्राप्य लाभ बैंक की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं या नहीं। नीति में बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबोधन के लिए रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को भी संभाला गया है।

एएलएम नीति में विशेष रूप से तरलता जोखिम प्रबंधन तथा ब्याज दर जोखिम प्रबंधन फ्रेमवक्र का उल्लेख है। नीति द्वारा उल्लिखितानुसार तरलता जोखिम का प्रबंधन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारितानुसार डॉटा कवरेज की उत्तम उपलब्धता के आधार पर दैनिक रूप से आस्ति और देयताओं के अवशिष्ट परिपक्वता / प्रवृत्तिजन्य पद्धति को आधार बनाकर जीएपी विशलेषण के जरिए किया जाता है । अभी तक संरचनागत तरलता विवरण के माध्यम से तरलता जोखिम की रिपोर्ट आरबीआइ को घरेलू परिचालन के लिए की जाती थी वहीं इसे प्रत्येक ओवरसीज केंद्रों पर अलग अलग प्रबंधित किया जाता था तथा अतीत में नियंत्रण के उद्देश्य से आलको(एएलसीओ) में रखा जाता था। हालाँकि भारिबैं के मार्च 2013 से प्रभावी दिशानिर्देशों के अनुसार तरलता जोखिम की संगणना की जाती है तथा आरबीआइ को रुपए तथा विदेशी मुद्रा में घरेलू परिचालनों व ज्ओवरसीज केंद्रों के लिए प्रस्तुत किया जाता है और बैंक परिचालन हेतु विभिन्न अंतरालों पर इसका समेकन किया जाता है।

बैंक ने अल्पावधि गतिशील तरलता प्रबंधन तथा आकस्मिक निधि योजना के उपाय बनाये हैं। प्रभावी आस्ति देयता प्रबन्धन हेतु पहले चार बकेट के लिए भारिबैं द्वारा और विभिन्न अवशिष्ट परिपक्वता समय बकेट्स के लिए बैंक के बोर्ड द्वारा विवेकपूर्ण (छूट) सीमाएँ निर्धारित की जाती है। बैंक की तरलता प्रोफाइल को विभिन्न तरलता अनुपातों के जरिए मूल्यांकित किए जाते हैं। बैंक ने विभिन्न आकस्मिक उपायों को गठित किया है ताकि तरलता स्थिति में किसी प्रकार के तनाव को संभाला जा सके। बैंक देशी ट्रेशरी द्वारा निधि के व्यवस्थित तथा स्थिर नियोजन के जरिए पर्याप्त तरलता का प्रबंधन सुनिश्चित करता है।

ब्याज दर जोखिम को संवेदनशील आस्तियों और देयताओं को जीएपी विशलेषण के प्रयोग से प्रबंधित और निर्धारित विवेकपूर्ण (छूट) सीमाओं के जरिए प्रबोधित किया जाता है। शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम बनाने की दृष्टि से निवल ब्याज मार्जिन (एनआइआइ) और ईक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवई) पर प्रभाव को निर्धारित करने के लिए ब्याज दर में प्रतिकूल गति (नीति में निर्धारितानुसार) के प्रति बैंक जोखिम पर अर्जन (ईएआर) तथा ड्यूरेशन गैप (डीजीएपी) आशोधन को निर्धारित करता है।

आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (ऑलको) / बोर्ड, बैंक द्वारा नियत विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन को प्रबोधित करता है और एएलएम नीति में स्पष्ट किए अनुसार बाजार स्थिति (वर्तमान तथा प्रत्याशित) के अनुरूप रणनीति निर्धारित करता है। ट्रेज़री विभाग में कार्यरत मध्य कार्यालय समूह भी विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन को निरंतर आधार पर प्रबोधित करता है।

NBFC	100.21
Venture Capital	0.00
Non Performing Assets – a) Housing Loan	0.13
Non Performing Assets – b) Others	140.01
Other Assets – Staff Loans	24.63
Other Assets	134.44
Restructured Accounts	0.00
Claims secured by C.R.E-RH	36.87
Restructured Housing Loan	0.00

Quantitative Disclosures

(Rs. in crore)

Particulars	**Amount**
For each separately disclosed credit risk portfolio, the total exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by guarantees / Credit Derivatives (whenever specifically permitted by RBI)	**8786.96**
Public Sector Entities	4468.64
Corporate	2127.44
Regulatory Retail Portfolio (RRP)	2190.62
Restructured	0.00
Capital Market Exposure / NBFC	0.00
CRE	0.25
CRE-RH	0.00

Table DF 6

SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH

No Securitization for the year ended 31.03.2017

Table DF – 7 Market risk in trading book

Qualitative disclosure:

Market Risk

Market Risk is defined as the possibility of loss to a bank in on & off-balance sheet position caused by changes/movements in market variables such as interest rate, foreign currency exchange rate, equity prices and commodity prices. Bank's exposure to market risk arises from domestic investments (interest related instruments and equities) in trading book (Both AFS and HFT categories), the Foreign Exchange positions (including open position, if any, in precious metals) and trading related derivatives. The objective of the market risk management is to minimize the impact of losses on earnings and equity capital arising from market risk.

Policies for management of market risk

The bank has put in place Board approved Market Risk Management Policy and Asset Liability Management (ALM) policy for effective management of market risk in the bank. Other policies which deal with market risk management are Funds Management and Investment Policy, Derivative Policy, Risk Management Policy for forex operations and Stress testing policy. The market risk management policy lays down well defined organization structure for market risk management functions and processes whereby the market risks carried by the bank are identified, measured, monitored and controlled within the ALM framework, consistent with the Bank's risk tolerance. The policies set various risk limits for effective management of market risk and ensuring that the operations are in line with Bank's expectation of return to market risk through proper Asset Liability Management. The policies also deal with the reporting framework for effective monitoring of market risk.

The ALM policy specifically deals with liquidity risk management and interest rate risk management framework. As envisaged in the policy, liquidity risk is managed through GAP analysis based on residual maturity/behavioral pattern of assets and liabilities on daily basis based on best available information data coverage as prescribed by RBI. The liquidity risk through Structural Liquidity statement was hitherto reported to RBI for domestic operation while the same was managed separately at each overseas center and placed to ALCO for control purpose in the past. However as per RBI guidelines from March 2013 the liquidity risk is computed and submitted to RBI in rupee and foreign currency for domestic operations, overseas centers and consolidated for Bank operations at various frequencies.

The bank has put in place mechanism of short-term dynamic liquidity management and contingent funding plan. Prudential (tolerance) limits are prescribed by RBI for the first four buckets and by Bank's Board for different residual maturity time buckets for efficient asset liability management. Liquidity profile of the bank is evaluated through various liquidity ratios. The bank has also drawn various contingent measures to deal with any kind of stress on liquidity position. Bank ensures adequate liquidity management by Domestic Treasury through systematic and stable funds planning.

Interest rate risk is managed through use of GAP analysis of rate sensitive assets and liabilities and monitored through prudential (tolerance) limits prescribed. The bank estimates earnings at risk for domestic operations and modified duration gap for global operations periodically for assessing the impact on Net Interest Income and Economic Value of Equity with a view to optimize shareholder value.

The Asset-Liability Management Committee (ALCO) / Board monitors adherence to prudential limits fixed by the Bank and determines the strategy in the light of the market conditions (current and expected) as articulated in the ALM policy. The mid-office monitors adherence to the prudential limits on a continuous basis.

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप पूँजी के अनुरक्षण के लिए बेसल ।। फ्रेमवर्क के मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (एसडीए) के अनुसार बाजार जोखिम के लिए बैंक ने पूँजी परिकलित की है। 31.03.2017 तक बैंक के ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम के लिए पूँजी अपेक्षाएँ इस प्रकार

(रु.करोड़ में)

बाजार जोखिम का प्रकार	जोखिम भारित आस्ति (कल्पित)	पूँजी आवश्यकता
ब्याज दर जोखिम	7831.00	626.48
ईक्विटी स्थिति जोखिम	8306.11	664.49
विदेशी विनिमय जोखिम	67.93	5.43
कुल	**16205.05**	**1296.40**

तालिका डीएफ - 8
परिचालनात्मक जोखिम
गुणात्मक प्रकटीकरण
क) परिचालनात्मक जोखिम :

परिचालनात्मक जोखिम का तात्पर्य अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रकियाओं, लोगों तथा प्रणालियों या बाहरी घटनाओं के फलस्वरूप होने वाली हानि का जोखिम है। परिचालनात्मक जोखिम में विधिक जोखिम शामिल हैं मगर रणनीति या प्रतिष्ठा से संबंधित जोखिम शामिल नहीं है।

परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन पर नीतियाँ

बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति का गठन किया है जो बैंक के बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित है। बोर्ड द्वारा अपनाई गई अन्य नीतियाँ जो परिचालनात्मक जोखिम को संभालती हैं इस प्रकार हैं : (क) सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति (ख) साइबर सुरक्षा नीती (ग) फोरेक्स जोखिम प्रबंधन नीति (घ) अपने ग्राहक को जानें पर नीतिगत दस्तावेज और धन शोधन निवारक (एएमएल) कार्यविधियों (ङ) अविराम आइटी कारोबार तथा विपदा पुन:प्राप्ति योजना (आइटी बीसी-डीआरपी) (च) अनुपालन नीति और (छ) वित्तीय सेवाओं के बाह्य स्त्रोत पर नीति।

बैंक द्वारा अपनाई गई परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति, परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना तथा विस्तृत प्रकियाओं की रूपरेखा बताता है। नीति का मूल उद्देश्य बैंक के दैनंदिन जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में भूमिकाओं के स्पष्ट नियतन के जरिए परिचालनात्मक जोखिम को प्रभावी ढंग से पहचानने, निर्धारित करने, प्रबोधित करने तथा नियंत्रित/कम करने और भौतिक परिचालनात्मक हानियों सहित परिचालनात्मक ऋण जोखिमों की समय पर रिपोर्टिंग के द्वारा परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन प्रणाली को एकीकृत करना है। बैंक में परिचालनात्मक जोखिमों को व्यापक तथा सुदृढ व सुस्पष्ट आंतरिक नियंत्रण फ्रेमवर्क के द्वारा संभाला जाता है।

बैंक ने अपनी अनुदेश पुस्तक में विभिन्न परिचालनों के लिए सुस्पष्ट पद्धतियां व प्रक्रियाएं बना रखी हैं। बैंक ने कम्प्यूटरीकृत परिचालनों को संभालने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं और निर्धारित पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए ईडीपी लेखा परीक्षा स्थापित है। कर्मचारियों के विभिन्न स्तरों की भूमिका के बारे में स्पष्ट दिशानिर्देश हैं। उधार, फारेक्स और अन्य कार्यक्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रभावी प्रशिक्षण प्रणाली है। सभी कर्मचारियों के लिए आचार नियम व सेवा विनियम हैं।

निर्धारित पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आन्तरिक और बाह्य लेखा परीक्षा प्रणालियां हैं और कमियों को सुधारने के लिए समय पर कार्रवाई की जाती है।

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुपालन नीति रखी है। बैंकों में अनुपालन कार्यों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने केन्द्रीय कार्यालय में कारोबार समूह से अलग ''अनुपालन विभाग'' स्थापित किया है। हर शाखा / विभाग / कार्यालय में अनुपालन के स्तर की निगरानी के लिए अनुपालन अधिकारी पदनामित किए गए हैं। अनुपालन स्तर के मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया व प्रणालियां तैयार की गई हैं। अनुपालन कार्यों के लिए रिपोर्टिंग प्रणाली भी तैयार की गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अंतिम दिशानिर्देशों के अनुसार हमारा बैंक आधारभूत सूचक दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसके अनुसार बैंक परिचालन जोखिम के लिए पूंजी धारित करता है। दिशानिर्देशों के अनुसार, परिचालन जोखिम के लिए पूंजी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बताई गई सकारात्मक वार्षिक सकल आय के 15% के पिछले तीन वर्षों के औसत के बराबर है।

(रु.करोड़ में)

मानदण्ड	पूँजी रकम	आनुमानिक जोखिम वेटेड आस्ति
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिभाषित अनुसार पिछले 3 वर्षों में सकारात्मक वार्षिक सकल आय का 15%	1143.79	14297.33

तालिका डीएफ - 9 बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम
गुणात्मक प्रकटीकरण

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम होता है जहाँ बाजार ब्याज दर में परिवर्तन बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है। ब्याज दर में परिवर्तन चालू अर्जन (परिप्रेक्ष्य अर्जन) तथा बैंक के नेटवर्थ (परिप्रेक्ष्य आर्थिक मूल्य) दोनों को प्रभावित करता है। परिप्रेक्ष्य अर्जन के जोखिम को निवल ब्याज आय (एनआइआइ) या निवल ब्याज मार्जिन (एनआइएम) पर पड़ने वाले प्रभाव के अनुसार मापा जा सकता है। इसी प्रकार, परिप्रेक्ष्य आर्थिक मूल्य के जोखिम को ईक्विटी के आर्थिक मूल्य में होने वाले घटाव से मापा जा सकता है।

बैंकिंग बुक में अल्पावधि (आर्थिक परिप्रेक्ष्य) तथा दीर्घावधि (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य) परिप्रेक्ष्य से ऑन बैलेंस शीट तथा ऑफ बैलेंस शीट जोखिमों पर परिवर्तनशील ब्याज दरों के साथ जुड़े जोखिमों को बैंक पहचानता है। देशी परिचालनों हेतु आय पर प्रभाव को बैंक की एएलएम नीति में निर्धारितानुसार 25 बीपीएस से 200 बीपीएस तक कल्पित दर प्रघात (शॉक) को लागू करके जीएपी विशलेषण के प्रयोग से मापा जाता है। ऐसे प्रभावों के लिए बैंक के एनआइआइ के प्रतिशत के अनुसार विवेकपूर्ण सीमाएँ निर्धारित की गई हैं और उसका प्रबोधन पाक्षिक आधार पर आवधिक रूप में किया जाता है। अर्जन पर प्रभाव के परिकलन के लिए, देशी परिचालनों हेतु पारंपरिक जीएपी विश्लेषण को दर संवेदनशील विवरण से लिया जाता है और विशेष समयावधि के बीच के पाइंट से बची हुई अवधि के आधार पर 200 बीपीएस तक ब्याज दर में

Quantitative Disclosures

In line with the RBI's guidelines, the Bank has computed capital for market risk as per Standardised Duration Approach of Basel-II framework for maintaining capital. The capital requirement for market risk as on 31.3.2017 in trading book of the bank is as under:

(Rs. in crore)

Type of Market Risk	Risk Weighted Asset (Notional)	Capital Requirement
Interest rate risk	7831.00	626.48
Equity position risk	8306.11	664.49
Foreign exchange risk	67.93	5.43
TOTAL	**16205.05**	**1296.40**

Table DF – 8

OPERATIONAL RISK

Qualitative disclosures

Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risk.

Policies on Management of Operational risk

The bank has framed operational risk management policy duly approved by the Board. Other policies adopted by the Board which deal with management of operational risk are (a) Information Systems security policy (b) Cyber Security Policy (c) forex risk management policy (d) Policy document on know your customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) procedures (e) Business Continuity and Disaster Recovery Plan (BC-DRP) (f) compliance policy and (g) policy on outsourcing of Financial Services.

The operational risk management policy adopted by the Bank outlines organization structure and detailed processes for management of operational risk. The basic objective of the policy is to closely integrate operational risk management processes of the bank by clearly assigning roles for effectively identifying, assessing, monitoring and controlling or mitigating operational risk and by timely reporting of operational risk exposures including material operational losses. Operational risks in the bank are managed through comprehensive and well-articulated internal control framework.

The Bank has got embodied in its Book of Instructions well-defined systems and procedures for various operations. The bank has issued detailed guidelines for handling computerized operations and a system of EDP audit is in place to ensure adherence to the laid down systems and procedures. The Bank has clear guidelines as to the role functions of various levels of employees. A training system with provision for giving specialized training in credit /forex and other functional areas is in place. Conduct rules and service regulations for all the employees are also in place.

Various internal and external audit systems are in place to ensure that laid down systems and procedures are followed and timely actions are initiated for rectifying the deficiencies.

The Bank has put in place Compliance Policy duly approved by Board. In terms of the RBI guidelines on compliance functions in banks, the bank has established separate "Compliance Department" in Central Office independent of business group. Compliance officers are designated in each branch /department/ office to monitor the level of compliance. Methodologies and system have been devised and put in place for assessment of level of compliance. Reporting systems on compliance function have been devised and put in place.

In line with the final guidelines issued by RBI, our bank is adopting the Basic Indicator Approach for computing capital for operational risk. As per the guidelines the banks must hold capital for operational risk equal to 15% of positive average annual gross income over the previous three years as defined by RBI

Quantitative disclosures

(Rs. in Crore)

Parameter	Capital amount	Notional Risk Weighted Assets
15% of positive average annual gross income over the previous 3 years as defined by RBI	1143.79	14297.33

Table DF – 9

INTEREST RATE RISK ON THE BANKING BOOK

Qualitative disclosures

Interest rate risk is the risk where changes in the market interest rates might affect a bank's financial condition. Changes in interest rates may affect both the current earnings (earnings perspective) as also the net worth of the Bank (economic value perspective). The risk from earnings perspective can be measured as impact on the Net Interest Income (NII) or Net Interest Margin. Similarly the risk from economic value perspective can be measured as drop in Economic Value of Equity.

The bank identifies the risks associated with the changing interest rates on its on-balance sheet and off-balance sheet exposures in the banking book from a short term (Earnings perspective) and long term Economic Value Perspective. The impact on income (Earnings Perspective) for domestic operations is measured through use of GAP analysis by applying notional rate shock ranging from 25bps to 200bps as prescribed in the bank's ALM Policy over one year horizon. Prudential limits have been prescribed for such impacts as a percentage of Net Interest Income of the bank and in absolute terms and the same is monitored periodically. For the calculation of impacts on earnings, the Traditional Gap Analysis for domestic operation is taken from the Rate Sensitivity Statement and based on the remaining period from the mid point of a particular bucket the impact for change in interest rate up to 200 bps is arrived at. The same is reported to Board and ALCO periodically along with the Rate Sensitivity Statement. The limits are fixed on the basis

परिवर्तन के प्रभाव को परिकलित किया जाता है। इसी को ऑलको तथा बोर्ड को आवधिक तौर पर दर संवेदनशील विवरण सहित रिपोर्ट किया जाता है। सीमाएँ पिछले वर्ष के एनआइआइ के आधार पर नियत की जाती हैं।

बैंक ने वैश्विक परिचालनों पर ईक्विटी के आर्थिक मूल्य (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य) पर प्रभाव (प्रतिशतता के रूप में) के निर्धारण के लिए 200 बीपीएस पर कल्पित दर प्रघात को लागू करके पारंपरिक जीएपी विशलेषण को अंतराल जीएपी विशलेषण के साथ मिलाकर अपनाया है। इस प्रयोजन के लिए बैंक की 1 वर्ष की अवधि के दौरान एएलएम नीति में तुलन पत्र पर आशोधित अंतराल जीएपी के लिए (+/-) 1.00% की सीमा निर्धारित है और इसकी स्थिति को मासिक आधार पर आवधिक रूप से प्रबोधित किया जाता है।

बैंक मासिक आधार पर ईक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव और अवधि अन्तराल की गणना करता है । दर संवेदनशीलता विवरण और बकेटवार संशोधित अवधि के अनुसार आस्ति व देयता को समूहबद्ध किया जाता है और इन समूह आस्ति व देयता के लिए कॉमन मैच्यूरिटी , कूपन व यील्ड मानदण्ड का प्रयोग करके गणना की जाती है। जहाँ भी संभव होता है संशोधित अवधि की गणना एकल मदवार की जाती है । गैर-परिपक्व जमाओं के मामले में, ब्याज दर संवेदनशीलता के वास्तविक मूल्यांकन को प्राप्त करने के लिए भा.रि.बैंक द्वारा निर्धारितानुसार बैंक ने तीन वर्ष की अवधि के लिए व्यावहारिक अध्ययन संचालित किया है।

बैंक प्रत्येक मुद्रा में ब्याज दर जोखिम स्थिति की गणना अवधि अन्तराल विश्लेषण (डी जी ए) और पारंपरिक अंतराल विश्लेषण (टी जी ए) उस मुद्रा में दर संवेदनशील आस्ति (आर एस ए)/ दर संवेदनशील देयता (आर एल एल)पर करता है जहाँ या तो आस्ति या देयता बैंक की कुल वैश्विक आस्ति या वैश्विक देयता का 5 प्रतिशत या अधिक हो। सभी अन्य अवशेष मुद्रा में ब्याज जोखिम स्थिति की गणना अलग से समग्र आधार पर की गणना की जाती है।

भा.रि बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, तिमाही विवरणियां तिमाही की समाप्ति से 21 दिनों के अंदर और मासिक विवरणियां माह के अंत से 15 दिनों कें अंदर प्रस्तुत की जाती है ।

गुणात्मक प्रकटीकरण

ख) निवल ब्याज आय (एन आइ आइ) और ईक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव के परिवर्तन को दिनांक 31.03.2017 तक उपर्युक्त चर्चा के अनुसार कल्पित ब्याज दर प्रघातों को लागू करके नीचे दिया जा रहा है :

(रु.करोड़ में)

ब्याज दर में परिवर्तन	इएआर के लिए एएलएम नीति सीमा	जोखिम पर अर्जन (इएआर)	
		31/03/2017	
		1 वर्ष तक	5 वर्ष तक
0.25% परिवर्तन	162.00 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 3%)	84.70	107.78
0.50% परिवर्तन	323.00 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 6%)	169.40	215.56
0.75% परिवर्तन	485.00 पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 9%)	254.10	323.34
1.00% परिवर्तन	646.00 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 12%)	338.80	431.12
2.00% परिवर्तन	1292.00 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 24%)	677.60	862.24

इक्विटी का आर्थिक मूल्य	**31.03.2017**
आशोधित अवधि अंतराल (डीजीएपी)	0.1016%
एएलएम नीति के अनुसार सीमा	(+/-)1.00%
इक्विटी की बाजार मूल्य (एमवीइ)	
200 बीपीएस दर प्रघात के लिए ईक्विटी में घटाव	3.6990%

of previous year's Net Interest Income (NII) duly approved by Board.

The bank has adopted traditional gap analysis combined with duration gap analysis for assessing the impact (as a percentage) on the Economic Value of Equity (Economic Value Perspective) on global operations by applying a notional interest rate shock of 200 bps over a time horizon of one year. For the purpose a limit of (+/-) 1.00% for modified duration gap is prescribed in the Bank's ALM policy and the position is monitored periodically.

The bank calculates Duration Gap and the impact on Economic Value of Equity on a monthly basis. Assets and liabilities are grouped as per rate sensitivity statement and bucket-wise modified duration is computed for these groups of Assets and Liabilities using common maturity, coupon and yield parameters. Wherever possible, the Modified Duraton is calculated on individual item wise. In case of non maturity deposits, the bank has conducted behavioural studies as prescribed by RBI to have a realistic assessment of the interest rate sensitivity.

The bank is computing the interest rate risk position in each currency applying the Duration Gap Analysis (DGA) and Traditional Gap Analysis (TGA) to the Rate Sensitive Assets (RSA)/ Rate Sensitive Liabilities (RSL) items in that currency, where either the assets, or liabilities are 5 per cent or more of the total of either the bank's global assets or global liabilities. The interest rate risk positions in all other residual currencies are computed separately on an aggregate basis.

The quarterly returns are submitted within 21 days from the end of the quarter and monthly returns within 15 days from the end of the month to RBI as per guidelines.

Quantitative Disclosures

The impact of changes of Net Interest Income (NII) and Economic Value of Equity (EVE) calculated as on 31.03.2017 by applying notional interest rate shocks as discussed above are as under

(Rs. in crore)

Change in Interest Rate	**ALM Policy Limit for EaR**	**Earnings at Risk (EaR) 31.03.2017**	
		Up to 1 year	**Up to 5 years**
0.25% change	162.00 (3% of NII of previous year)	84.70	107.78
0.50% change	323.00 (6% of NII of previous year)	169.40	215.56
0.75% change	485.00 (9% of NII of previous year)	254.10	323.34
1.00% change	646.00 (12% of NII of previous year)	338.80	431.12
2.00% change	1292.00 (24% of NII of Previous year)	677.60	862.24

ECONOMIC VALUE OF EQUITY	**31.03.2017**
Modified Duration Gap (DGAP)	0.1016%
Limit as per ALM Policy	(+/-)1.00%
Market value of Equity (MVE)	
For a 200 BPS Rate Shock the Drop in Equity Value	3.6990%

सारणी डीएफ -10 : काउंटरपार्टी ऋण जोखिम से संबंधित जोखिमों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण	(क)	डेरिवेटिव्स ं एवं सीआरआर के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण अपेक्षा में निम्न शामिल हैं - • काउंटर पार्टी क्रेडिट एक्सपोजर के लिए क्रेडिट लिमिट एवं आर्थिक पूंजी को सौंपने में प्रयुक्त कार्यप्रणाली की चर्चा • क्रेडिट आरक्षितियों को स्थिर करने तथा संपार्श्विकों प्रतिभूतियों के लिए नीतियों पर चर्चा • त्रुटिपूर्ण विधि से जोखिम एक्सपोज़र के संबंध में नीतियों की चर्चा • सम्पार्श्विकों की राशि के प्रभाव पर चर्चा से बैंक को क्रेडिट रेटिंग को कम किया जाएगा।
मात्रात्मक प्रकटीकरण	(ख)	करारों का सकल सकारात्मक उचित मूल्य, नेटिंग लाभ, नेटेड वर्तमान क्रेडिट एक्सपोज़र, धारित समपार्श्विक (सरकारी प्रतिभूतियों, नकदी इत्यादि जैसी सहित) एवं निवल डेरीवेटिव क्रेडिट एक्सपोज़र। इसके अलावा सीईएम के तहत एक्सपोज़र राशि अथवा डिफाल्ट के एक्सपोज़र के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट करें। क्रेडिट एक्सपोज़र सीमा का अनुमानित मूल्य, तथा क्रेडिट एक्सपोज़र के प्रकारों द्वारा वर्तमान क्रेडिट एक्सपोज़र का वितरण।
	(ग)	क्रेडिट डेरीवेटिव सौदे जो कि सीसीआर (अनुमानित मूल्य) के एक्सपोज़र को उत्पन्न करते हैं को संस्था के निज़ी क्रेडिट पोर्टफोलियो के प्रयोग के लिए अलग-अलग किया जाएगा एवं इसके साथ-साथ वित्तीय मध्यस्थता गतिविधियों के साथ प्रयोग किए गए क्रेडिट डेरीवेटिव उत्पाद, आगे पुन: प्रत्येक समूह के साथ ब्रोकेन डाउन के माध्यम से खरीद एवं बिक्री से की गयी सुरक्षा।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(रु.करोड़ में)

विवरण	अनुमानित राशि	एमटीएम	कुल वर्तमान क्रेडिट एक्सपोज़र
व्युत्पन्न	7.71	0.00	15.42
ब्याज दर करार/ स्वैप	3486.26	4.42	22.30
फारवर्ड क्रय/ बिक्री करार	35649.99	672.37	1479.95
क्रेडिट डेरीवेटिव	0.00	0.00	0.00
क्रेडिट डेरीवेटिव	0.00	0.00	0.00

सारणी डीएफ -11: पूँजी की संघटना

भाग I : केवल मार्च 31,2017 से प्रयुक्त किया जाने वाला टेम्पलेट: लागू नहीं

भाग II : केवल मार्च 31,2017 से पहले प्रयुक्त किया जाने वाला टेम्पलेट (अर्थात् बासेल III विनियामक समायोजन की संक्रमण अवधि के दौरान)

(रु. करोड़ में)

विनियामन समायोजन के संक्रमण के दौरान प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्प्लेट (अर्थात् 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017)			बेसल III प्रतिपादन पूर्व के अधीन राशियाँ
सामान्य ईक्विटी टियर I पूँजी: लिखत एवं आरक्षितियाँ			
1	प्रत्यक्ष रूप से जारी उपयुक्त सामान्य शेयर पूँजी सहित संबंधित स्टॉक अधिशेष(शेयर प्रीमियम)	10104.79	10104.79
2	प्रतिधारित आय	7362.30	7362.30
3	संचयित अन्य व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षितियाँ)	2715.23	1615.23
4	सीईटी1 से निकाले जाने के अधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूँजी (केवल गैर- संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू)	0.00	0.00

Table DF – 10: General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

Qualitative Disclosures	(a)	The general qualitative disclosure requirement with respect to derivatives and CCR, including: • Discussion of methodology used to assign economic capital and credit limits for counter party credit exposures • Discussion of policies for securing collateral and establishing credit reserves • Discussion of policies with respect to wrong way risk exposures • Discussion on impact of the amount of collateral the bank would have to provide given a credit rating downgrade
Quantitative Disclosures	(b)	Gross positive fair value of contracts, netting benefits, netted current credit exposures, collateral held(including type, e.g. cash, government securities, etc.), and net derivatives credit exposure. Also report measures for exposure at default, or exposure amount, under CEM. The notional value of credit exposure hedges, and the distribution of current credit exposure by types of credit exposure.
	(c)	Credit derivative transactions that create exposures to CCR (notional value), segregated between use for the institution's own credit portfolio, as well as in its intermediation activities, including the distribution of the credit derivatives products used, broken down further by protection bought and sold within each product group.

Quantitative Disclosures

(Rs. in crore)

Particulars	Notional Amount	MTM	Total current credit exposures
Derivatives	7.71	0.00	15.42
Interest Rates Contracts/Swaps	3486.26	4.42	22.30
Forward Purchase / Sales Contract	35649.99	672.37	1479.95
Credit Derivatives	0.00	0.00	0.00
Credit Derivatives	0.00	0.00	0.00

Table DF – 11 COMPOSITION OF CAPITAL

Part I : Template to be used only from March 31,2017 : Not Applicable

Part II : Template to be used before March 31,2017 (i.e. during the transition period of Basel III regulatory adjustment)

(Rs. in crore)

Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)			Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	10104.79	10104.79
2	Retained earnings	7362.30	7362.30
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	2715.23	1615.23
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies1)	0.00	0.00
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00	0.00

5	अनुषंगियों द्वारा जारी तथा अन्य पक्ष द्वारा धारित सामान्य शेयर पूँजी (समूह सीईटी1 में अनुमत राशि)	0.00	0.00
6	**विनियामक समायोजन से पूर्व सामान्य ईक्विटी टियर I पूँजी**	**20182.33**	**19082.33**
सामान्य ईक्विटी टियर I पूँजी : विनियामक समायोजन			
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन		
8	साख (संबंधित कर देयता का निवल)		
9	अमूर्त (संबंधित कर देयता का निवल)	6840.32	6840.32
10	आस्थगित कर आस्तियाँ	0.00	0.00
11	नकद प्रवाह बचाव आरक्षित		
12	अपेक्षित हानियों पर प्रावधानों की कमी		
13	व्यय पर प्रतिभूतिकरण अभिलाभ		
14	उचित मूल्य देयताओं पर अपने ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ व हानि		
15	परिभाषित- लाभ पेंशन निधि निवल आस्तियाँ,	0.00	0.00
16	खुद के शेयरों में निवेश (यदि रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र पर प्रदत्त पूँजी का पहले ही निवलीकरण नहीं किया गया है)		
17	सामान्य ईक्विटी में पारस्परिक क्रॉस- धारण	22.91	0.00
18	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा इकाइयों, जो विनियामक समेकन, पात्र आंशिक स्थितियों के निवल के दायरे से बाहर हैं, जहाँ बैंक जारी शेयर पूँजी के 10 % से अधिक नहीं रखता है (10% प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि), की पूँजी में निवेश		
19	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा इकाइयों, जो विनियामक समेकन, पात्र आंशिक स्थितियों के निवल के दायरे से बाहर हैं, योग्य अल्प स्थितियों का निवल (10% प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)3	0.00	0.00
20	बंधक सेवा अधिकार (10% प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	0.00	0.00
21	5 अस्थायी अंतरों से उभरती आस्थगित कर आस्तियाँ (10% प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि), संबंधित कर देयता का निवल	496.80	496.80
22	15% प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि 6	0.00	0.00
23	जिसमें से: वित्तीय इकाइयों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	0.00	0.00
24	जिसमें से: बंधक सेवा अधिकार	0.00	0.00
25	जिसमें से: अस्थायी अंतरों से उभरती आस्थगित कर आस्तियाँ	0.00	0.00
26	राष्ट्रीय विशेषीकृत विनियामक समायोजन7 (26क+26ख+26ग+26घ)	0.00	0.00
26ए	जिसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों की ईक्विटी पूँजी में निवेश	0.00	0.00
26बी	जिसमें से: समेकित गैर वित्तीय अनुषगियों8 की ईक्विटी पूँजी में निवेश	0.00	0.00
26सी	जिसमें से: बहुमत प्राप्त वित्तीय इकाइयों, जिनका समेकन बैंक9 द्वारा नहीं हुआ है, की ईक्विटी पूँजी में कमी	0.00	0.00
26डी	जिसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	0.00	0.00
	बासेल III प्रतिपादन पूर्व के अधीन राशियों के संबंध में सामान्य ईक्विटी टियर I पर लागू विनियामक समायोजन		

6	**Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**20182.33**	**19082.33**
Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments			
7	Prudential valuation adjustments		
8	Goodwill (net of related tax liability)		
9	Intangibles (net of related tax liability)	6840.32	6840.32
10	Deferred tax assets2	0.00	0.00
11	Cash-flow hedge reserve		
12	Shortfall of provisions to expected losses		
13	Securitisation gain on sale		
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities		
15	Defined-benefit pension fund net assets	0.00	0.00
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-up capital on reported balance sheet)		
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	22.91	0.00
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)		
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	0.00	0.00
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	0.00	0.00
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	496.80	496.80
22	Amount exceeding the 15% threshold	0.00	0.00
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities	0.00	0.00
24	of which: mortgage servicing rights	0.00	0.00
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	0.00	0.00
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)	0.00	0.00
26a	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0.00	0.00
26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	0.00	0.00
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	0.00
26d	of which: Unamortised pension funds expenditures	0.00	0.00
	Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment		
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	0.00	0.00
28	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	7360.03	7337.12

27	कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियर Iतथा टियर II के कारण सामान्य ईक्विटी टियर I पर लागू विनियामक समायोजन।	0.00	0.00
28	सामान्य ईक्विटी टियर I पर कुल विनियामक समायोजन	7360.03	7337.12
29	सामान्य ईक्विटी टियर I पूँजी (सीईटी 1)	12822.30	11745.21
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : लिखतें			
30	प्रत्यक्ष रूप से जारी उपयुक्त अतिरिक्त टियर 1 लिखत सहित संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम) (31+32)	1150.00	780.00
31	जिसमें से: प्रायोज्य लेखांकन मानकों के तहत ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत (स्थायी गैर-संचयी अधिमानी शेयर)	0.00	0.00
32	जिसमें से: प्रायोज्य लेखांकन मानकों के तहत देयता के रूप में वर्गीकृत (स्थायी ऋण लिखत)	1150.00	780.00
33	अतिरिक्त टियर 1 से निकाले जाने के अधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूँजी लिखत	0.00	0.00
34	अनुषंगियों द्वारा जारी और अन्य पक्ष द्वारा धारित (समूह एटी1 में अनुमत राशि) अतिरिक्त टियर 1 लिखत (तथा सीईटी1 लिखत जो क्रम 5 में शामिल नहीं हैं)	0.00	0.00
35	जिसमें से निकाले जाने के अधीन अनुषगिंयों द्वारा जारी लिखत	0.00	0.00
36	**विनियामक समायोजन से पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूँजी**	**1150.00**	**780.00**
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन			
37	खुद के अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में निवेश	50.00	50.00
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक गैर-धारिता	30.00	30.00
39	विनियामक समेकन की संभावनाओं से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाइयों की पूँजी में निवेश, पात्र अल्प स्थितियों का निवल, जहाँ बैंक की स्वामित्व इकाई (10% की सीमा से ऊपर की राशि) की जारी साझा शेयर पूँजी के 10% से अधिक की राशि न हो	0.00	0.00
40	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाइयों की पूँजी में निवेश (पात्र अल्प स्थितियों का निवल)	0.00	0.00
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41ए+41बी)	0.00	0.00
41ए	असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टियर I पूँजी में निवेश	0.00	0.00
41बी	बहुलांश स्वामित्व वाली वित्तीय इकाइयों की अतिरिक्त टियर I पूँजी में कमी जिन्हें बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है	0.00	0.00
42	अपर्याप्त टियर II की वजह से कटौतियों को कवर करने के लिए अतिरिक्त टियर I में लागू विनियामक समायोजन		
43	**अतिरिक्त टियर I पूँजी में कुल विनियामक समायोजन**	80.00	80.00
44	**अतिरिक्त टियर I पूँजी (एटी1)**	**1070.00**	**700.00**
45	टियर I पूँजी (टी1 = सीईटी1 + स्वीकार्य एटी1) (29 + 44)	13892.30	12445.21
टियर 2 पूँजी: लिखत एवं प्रावधान			
46	प्रत्यक्ष तौर पर जारी पात्र टियर 2 लिखत सहित संबंधित अधिक स्टॉक	776.00	776.00
47	टियर 2 से बाहर होने होने की शर्त पर प्रत्यक्ष तौर पर जारी पूँजी लिखत	1866.15	2632.30
48	अनुषंगी द्वारा जारी और अन्य पक्षों द्वारा धारित (समूह टियर 2 में स्वीकृत राशि) टियर 2 लिखत (और 5 या 34 पंक्ति में नहीं शामिल सीईटी1 और एटी1 लिखत)	0	0
49	जिनमें से : बाहर होने की शर्त पर अनुषंगियों द्वारा जारी लिखत	0	0

29	Common Equity Tier 1 capital (CET1)	12822.30	11745.21
Additional Tier 1 capital: instruments			
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (share premium) (31+32)	1150.00	780.00
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	0.00	0.00
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	1150.00	780.00
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	0.00	0.00
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	0.00	0.00
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00	0.00
36	**Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**1150.00**	**780.00**

Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments			
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	50.00	50.00
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	30.00	30.00
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0.00	0.00
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)10	0.00	0.00
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	0.00	0.00
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0.00	0.00
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	0.00
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions		
43	**Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital**	80.00	80.00
44	**Additional Tier 1 capital (AT1)**	**1070.00**	**700.00**
45	**Tier 1 capital (T1 = CET1 + Admissible AT1) (29 + 44)**	13892.30	12445.21
Tier 2 capital: instruments and provisions			
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	776.00	776.00
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	1866.15	2632.30
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	0	0
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0	0
50	Provisions12	1268.47	1268.47
51	**Tier 2 capital before regulatory adjustments**	**3910.62**	**4676.77**

50	प्रावधान	1268.47	1268.47
51	**विनियामक समायोजन से पहले टियर 2 पूँजी**	**3910.62**	**4676.77**
टियर 2 पूँजी : विनियामक समायोजन			
52	निजी टियर 2 लिखतों में निवेश	50.00	50.00
53	टियर 2 लिखतों में परस्पर प्रति-धारिता	0.00	0.00
54	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाइयों की पूँजी में निवेश, पात्र अल्प स्थितियों का निवल, जहाँ बैंक का स्वामित्व इकाई (10% की सीमा से ऊपर की राशि) की जारी साझा शेयर पूँजी के 10% से अधिक की राशि न हो	0	
55	विनियामक समेकन की संभावनाओं से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाइयों की पूँजी में निवेश (पात्र अल्प स्थितियों का निवल)	0	
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56ए+56बी)		
56ए	जिनमें से असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टियर 2 पूँजी में निवेश	0	
56बी	जिनमें से: बहुलांश स्वामित्व वाली वित्तीय इकाइयों की टियर 2 पूँजी में कमी जिन्हें बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है	0	
57	**टियर 2 पूँजी में कुल विनियामक समायोजन**	50.00	50.00
58	**टियर 2 पूँजी (टी2)**	3860.62	4626.77
59	**कुल पूँजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58)**	**17752.91**	**17071.97**
60	**कुल जोखिम भारांक वाली आस्तियां (60क + 60ख + 60ग)**	169148.15	
60ए	जिनमें से: कुल उधार जोखिम भारांक वाली आस्तियां	138645.78	
60बी	जिनमें से: कुल बाज़ार जोखिम भारांक वाली आस्तियां	16205.05	
60सी	जिनमें से : कुल परिचालनात्मक जोखिम भारांक वाली आस्तियां	14297.33	
पूँजी अनुपात			
61	सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारांक वाली आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	7.58%	
62	टियर 1 (जोखिम भारांक वाली आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	8.21%	
63	कुल पूँजी (जोखिम भारांक वाली आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	10.50%	
64	संस्थान विशिष्ट बफर अपेक्षा (न्यूनतम सीईटी 1 अपेक्षा के साथ पूँजी संरक्षण और प्रति-चक्रीय बफर अपेक्षाएं, जोखिम भारांक वाली आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)	6.75%	
65	जिनमें से: पूँजी संरक्षण बफर अपेक्षा	0	
66	जिनमें से: बैंक विशिष्ट प्रति-चक्रीय बफर अपेक्षा	0	0
67	जिनमें से : जी-एसआईबी बफर अपेक्षा	0	0
68	बफर की पूर्ति के लिए उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टियर (जोखिम भारांक वाली आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	0.83%	
राष्ट्रीय न्यूनता (बेसल III से भिन्न होने पर)			
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (बेसल III न्यूनतम से भिन्न होने पर)	5.50%	
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (बेसल III न्यूनतम से भिन्न होने पर)	7.00%	
71	राष्ट्रीय कुल पूँजी न्यूनतम अनुपात (बेसल III न्यूनतम से भिन्न होने पर)	9.00%	
कटौती के लिए सीमा से कम राशि (जोखिम भार के पहले)			

Tier 2 capital: regulatory adjustments			
52	Investments in own Tier 2 instruments	50.00	50.00
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	0.00	0.00
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	0	
55	Significant investments13 in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0	
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)		
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	0	
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0	
57	**Total regulatory adjustments to Tier 2 capital**	50.00	50.00
58	**Tier 2 capital (T2)**	3860.62	4626.77
59	**Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58)**	**17752.91**	**17071.97**
60	**Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)**	169148.15	
60a	of which: total credit risk weighted assets	138645.78	
60b	of which: total market risk weighted assets	16205.05	
60c	of which: total operational risk weighted assets	14297.33	
Capital ratios			
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	7.58%	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	8.21%	
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	10.50%	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	6.75%	
65	of which: capital conservation buffer requirement	0	
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0	
67	of which: G-SIB buffer requirement	0	
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	0.83%	
National minima (if different from Basel III)			
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.50%	
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.00%	
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00%	
Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)			
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities		
73	Significant investments in the common stock of financial entities		

72	अन्य वित्तीय इकाइयों की पूँजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश		
73	वित्तीय इकाइयों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश		
74	बन्धक सेवा अधिकार (संबंधित कर देयता का निवल)	0	
75	अस्थाई अंतर से उत्पन्न अस्थगित कर आस्तियॉ (संबंधित कर देयता का निवल)	0	
टियर 2 में प्रावधानों को शामिल करने पर लागू सीमाएँ			
76	मानकीकृत अभिगम के अधीन ऋणों के संबंध में टियर 2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू करने के पूर्व)	1268.47	
77	मानकीकृत अभिगम के तहत टियर 2 में प्रावधानों को शामिल करने के लिए सीमा	2114.35	
78	मानकीकृत आंतरिक रेटिंग आधारित अभिगम के अधीन ऋणें के संबंध में टियर 2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू करने के पूर्व)	लागू नहीं	
79	मानकीकृत आंतरिक रेटिंग आधारित अभिगम के तहत टियर 2 में शामिल करने के लिए प्रावधान की सीमा	लागू नहीं	
फेज़ आउट व्यवस्था के अधीन पूँजी लिखत(मार्च 31 2017 से 31 मार्च 2022 के बीच ही लागू)			
80	फेज़ आउट व्यवस्था के अधीन सीइटी1 पर वर्तमान सीमा	0	
81	कैप के कारण देय सीइटी1 में शामिल नहीं राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद सीमा से अधिक राशि)	0	
82	फेज आउट व्यवस्था के अधीन ए टी 1 लिखत पर वर्तमान सीमा	150	
83	सीमा को देय ए टी 1 में शामिल नहीं राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद सीमा से अधिक राशि)	-370.00	
84	फेज आउट व्यवस्था के अधीन टी 2 लिखत पर वर्तमान सीमा	1866.15	
85	सीमा को देय टी 2 में शामिल नहीं राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद सीमा से अधिक राशि)	766.15	

टेम्पलेट पर नोट

(रु. करोड़ में)

टेम्पलेट की क्रम संख्या	विवरण	राशि
10	संचयी नुकसान के साथ संबद्ध आस्थगित कर आस्तियाँ	0
	आस्थगित कर आस्तियाँ (संचयी नुकसान के साथ संबद्ध को छोड़कर) आस्थगित कर देयता का निवल	1828.71
	क्रम संख्या 10 में दर्शित अनुसार योग	0.00
19	यदि बीमा अनुषंगी में निवेश की कटौती पूँजी में से पूर्णत: नहीं काटी गयी है और बल्कि कटौती के लिए 10% की सीमा पर विचार किया गया है , बैंक की पूँजी में परिणामी वृद्धि	0
	इसमें से : सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी में वृद्धि	0
	इसमें से : अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में बढ़ोत्तरी	0
	इसमें से : टियर 2 पूँजी में बढ़ोत्तरी	0

74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	0	
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	0	
Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2			
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	1268.47	
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	2114.35	
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	NA	
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	NA	
Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)			
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	0	
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0	
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	150	
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	-370.00	
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	1866.15	
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	766.15	

Notes to the Template

(Rs. in crore)

Row No. of the template	Particular	Amount
10	Deferred tax assets associated with accumulated losses	0
	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	1828.44
	Total as indicated in row 10	0.00
19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	0
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	0
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	0
	of which: Increase in Tier 2 capital	0
26b	If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	0
	(i) Increase in Common Equity Tier 1 capital	0
	(ii) Increase in risk weighted assets	0

26बी	यदि गैर वित्तीय अनुषंगी की ईक्विटी पूँजी में निवेश की कटौती नहीं की गयी और उसके बाद जोखिम भार	0
	(i) सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी में वृद्धि	0
	(ii) जोखिम भारांक आस्तियों में बढ़ोत्तरी	0
50	टियर 2 पूँजी में शामिल पात्र प्रावधान	1268.47
	टियर 2 पूँजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियाँ	0.00
	क्रम 50 का कुल	1268.47

सारणी डीएफ - 12: पूँजी समाधान आवश्यकताओं का संघटन

(रु. करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र	समेकन के विनियामक दायरे के तहत तुलन पत्र
		31.03.2017 तक	**31.03.2017 तक**
ए	**पूँजी तथा देयता**		
i	**प्रदत्त पूँजी**	2454.73	2454.73
	आरक्षिति तथा अधिशेष	11289.82	11289.82
	अल्पमत ब्याज	0	0
	कुल पूँजी	**13744.55**	**13744.55**
ii	**जमाएं**	**211342.63**	**211342.63**
	जिसमें से:बैंकों से जमा	22.94	22.94
	जिसमें से: ग्राहक जमा	211319.69	211319.69
	जिसमें से: अन्य	0	0
iii	**उधार**	**16097.67**	**16097.67**
	जिसमें से: आरबीआइ से	0	0
	जिसमें से: बैंक से	4721.68	4721.68
	जिसमें से: अन्य संस्थाओं तथा एजेंसियों से	5553.69	5553.69
	जिसमें से: अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	0	0
	जिसमें से: पूँजी लिखत	5822.30	5822.30
iv	**अन्य देयताएँ तथा प्रावधान**	**5982.64**	**5982.64**
	कुल	**247167.49**	**247167.49**
बी	**आस्तियाँ**		
i	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद व शेष	11499.97	11499.97
	बैंक में शेष तथा अल्प सूचना एवं मांग पर मुद्रा	11723.07	11723.07
ii	**निवेश**	**71549.19**	**71549.19**
	जिसमें से: सरकारी प्रतिभूतियाँ	60815.81	60815.81
	जिसमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	3.11	3.11
	जिसमें से: शेयर	1269.85	1269.85
	जिसमें से: डिबेंचर तथा बाण्ड	6465.24	6465.24
	जिसमें से: जिसमें से अनुषंगियों/ संयुक्त उपक्रम/ सहयोगी	199.58	199.58
	जिसमें से: अन्य (व्यावसायिक पत्र, म्यूच्युअल फंड आदि)	2795.60	2795.60
iii	**ऋण तथा अग्रिम**	**140458.62**	**140458.62**
	जिसमें से: बैंकों को ऋण तथा अग्रिम	388.99	388.99
	जिसमें से: ग्राहकों को ऋण तथा अग्रिम	140069.63	140069.63

50	Eligible Provisions included in Tier 2 capital	1268.47
	Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 capital	0.00
	Total of row 50	1268.47

Table DF – 12

COMPOSITION OF CAPITAL-RECONCILIATION REQUIREMENTS

(Rs. in crore)

Sr. No.	Particulars	Balance Sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		As on 31.03.2017	As on 31.03.2017
A	**Capital & Liabilities**		
i	**Paid up Capital**	2454.73	2454.73
	Reserves and Surplus	11289.82	11289.82
	Minority Interest	0	0
	Total Capital	**13744.55**	**13744.55**
ii	**Deposits**	**211342.63**	**211342.63**
	of which : Deposit from Banks	22.94	22.94
	of which : customer deposits	211319.69	211319.69
	of which : Others	0	0
iii	**Borrowings**	**16097.67**	**16097.67**
	of which : From RBI	0	0
	of which : From bank	4721.68	4721.68
	of which : from other institutional & agencies	5553.69	5553.69
	of which : Others(pl .Specify)	0	0
	of which : Capital instruments	5822.30	5822.30
iv	**Other liabilities and provisions**	**5982.64**	**5982.64**
	Total	**247167.49**	**247167.49**
B	**Assets**		
i	Cash and Balances with Reserve Bank of India	**11499.97**	**11499.97**
	Balance with bank and money at call and short notice	**11723.07**	**11723.07**
II	**Investments**	**71549.19**	**71549.19**
	of which: Government Securities	60815.81	60815.81
	of which: Other approved securities	3.11	3.11
	of Which :shares	1269.85	1269.85
	of which : Debentures & Bonds	6465.24	6465.24
	of which: Subsidiaries / joint Venture /Associates	199.58	199.58
	of which : other (commercial Paper, Mutual Funds etc)	2795.60	2795.60
iii	**Loans and advances**	**140458.62**	**140458.62**
	of which : Loans and advances to banks	388.99	388.99
	of which : Loans and advances to customers	140069.63	140069.63

iv	**अचल आस्तियाँ**	**3054.33**	**3054.33**
v	**अन्य आस्तियाँ**	**8882.31**	**8882.31**
	जिसमें से: साख तथा अमूर्त आस्तियाँ	0	0
	जिसमें से: आस्थगित कर आस्तियाँ	1828.44	1828.44
vi	**समेकन पर साख**	0	0
vii	**लाभ व हानि खाते में ऋण शेष**	0	0
	कुल	**247167.49**	**247167.49**

(रु. करोड़ में)

बेसल III साामान्य प्रकटीकरण टेंपलेट का निष्कर्ष (अतिरिक्त कॉलम के साथ) - सारणी डीएफ 11 (भाग I/ भाग II, जो भी लागू हो)

क्र.सं	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी : लिखत तथा आरक्षिति	बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूँजी का घटक
1	प्रत्यक्ष रूप से जारी उपयुक्त सामान्य शेयर (तथा गैर संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए समतूल्य) पूँजी सहित संबंधित स्टॉक अधिशेष।	10104.79
2	प्रतिधारित आय	7362.30
3	संचयित अन्य व्यापक आय (तथा अन्य आरक्षितियाँ)	2715.23
4	सीईटी1 से निकाले जाने के अधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूँजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू)	0.00
5	अनुषंगियों द्वारा जारी तथा अन्य पक्ष द्वारा धारित (समूह सीईटी1 में अनुमत राशि) सामान्य शेयर पूँजी	0.00
6	विनियामक समायोजन से पूर्व सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी	**20182.33**
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	
8	साख(संबंधित कर देयता का निवल)	

तालिका डीएफ 13: विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्व
विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों का प्रकटीकरण टेंपलेट

क्र.सं	विवरण	निम्न टियर II	निम्न टियर II	निम्न टियर II
		शृंखला XII	**शृंखला XIII**	**शृंखला XIV**
1	जारीकर्ता	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक
2	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई565ए09165	आइएनई 565ए09181	आइएनई565ए09215
3	उपकरणों की अभिशासी नियम (नियमों)	चेन्नै	चेन्नै	चेन्नै
	विनियामक समाधान			
4	परिवर्ती बेसल III नियम	टियर II	टियर II	टियर II
5	परिवर्ती पश्चात बेसल III नियम	अपात्र	अपात्र	अपात्र
6	एकल / समूह / समूह @ एकल में पात्र	एकल	एकल	एकल

iv	**Fixed assets**	**3054.33**	**3054.33**
v	**Other assets**	**8882.31**	**8882.31**
	of which : Goodwill and intangible assets	0	0
	of which : Deferred tax assets	1828.44	1828.44
vi	**Goodwill on consolidation**	0	0
vii	**Debit balance in Profit & Loss account**	0	0
	Total	**247167.49**	**247167.49**

(Rs. in crore)

Extract of Basel III common disclosure template (with added column)-

Table DF-11 (Part I / Part II whichever, applicable)

S.No.	**Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserve**	**Component of regulatory capital reported by bank**
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	10104.79
2	Retained Earning	7362.30
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	2715.23
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	0.00
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	**20182.33**
7	Prudential valuation adjustment	
8	Goodwill(net of related tax liablity)	

Table DF-13 : MAIN FEATURES OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

Sr. No.	**Particulars**	**Lower Tier II SERIES XII**	**Lower Tier II SERIES XIII**	**Lower Tier II SERIES XIV**
1	Issuer	PSU Bank	PSU Bank	PSU Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement	INE565A09165	INE565A09181	INE565A09215
3	Governing law(s) of the instrument	Chennai	Chennai	Chennai
	Regulatory treatment			
4	Transitional Basel III rules	Tier II	Tier II	Tier II
5	Post-transitional Basel III rules	ineligible	ineligible	ineligible
6	Eligible at solo/group/group @ solo	Solo	Solo	Solo

7	लिखत प्रकार	अपर टियर II ऋण लिखत	अपर टियर II ऋण लिखत	अपर टियर II ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी के रूप में चिह्नित राशि(रु. करोड़ में, हाल ही के रिपोर्टिंग तिथि पर)	60.00	116.00	600.00
9	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख
10	खाता वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता
11	निर्गमन की वास्तविक तिथि	22.08.2008	24.08.2009	31.12.2010
12	निरंतर या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	वास्तविक परिपक्वता तिथि	22.08.2018	24.08.2019	31.12.2020
14	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रु करोड में)	शून्य , शून्य , 300	शून्य , शून्य , 290	शून्य , शून्य , 1000
16	अनुवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कूपन / लाभांश			
17	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	निश्चित	निश्चित	निश्चित
18	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर
19	एक लाभांश रोधक का होना	नहीं	नहीं	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार , आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
22	गैर- संचयी या असंचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
23	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण ट्रिगर(रों)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि संपरिवर्तनीय हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि संपरिवर्तनीय हो, अनिवार्य या वैकल्पिक रुपांतरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि संपरिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार रुपांतरण को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तनीय लिखत का प्रकार विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं
31	यदि अवलेखन हो, अवलेखन ट्रिगर(रों)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

7	Instrument type	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. In Crore, as of most recent reporting date)	60.00	116.00	600.00
9	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs
10	Account classification	Liability	Liability	Liability
11	Original date of issuance	22.08.2008	24.08.2009	31.12.2010
12	Perpetual or dated	dated	dated	dated
13	Original maturity date	22.08.2018	24.08.2019	31.12.2020
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not applicable	Not applicable	Not applicable
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (Rs. in Crore)	nil, nil, 300	nil, nil, 290	nil, nil, 1000
16	Subsequent call dates, if applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
	Coupons / dividends			
17	Fixed or floating divend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate
19	Existence of a dividend stopper	No	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Not available	Not available	Not available
22	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	N/A	N/A	N/A
25	If convertible, fully or partially	N/A	N/A	N/A
26	If convertible, conversion rate	N/A	N/A	N/A
27	If convertible, mandatory or optional conversion	N/A	N/A	N/A
28	If convertible, specify instrument type convertible into	N/A	N/A	N/A
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N/A	N/A	N/A
30	Write-down feature	No	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	N/A	N/A	N/A
32	If write-down, full or partial	N/A	N/A	N/A

33	यदि अवलेखन हो, स्थाई या अस्थाई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थाई अवलेखन हो, आलेख प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
36	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	हाँ	हाँ	हाँ
37	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	बासल ।।। का अवशोषण नहीं	बासल ।।। का अवशोषण नहीं	बासल ।।। का अवशोषण नहीं

तालिका डीएफ 13: विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्व
विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों का प्रकटीकरण टेंपलेट

क्र. सं.	विवरण	उच्च टियर II	उच्च टियर II	उच्च टियर II
		शृंखला II	शृंखला III	शृंखला XIV
1	जारीकर्ता	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक
2	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई565ए09173	आइएनई 565ए09199	आइएनई565ए09223
3	उपकरणों की अभिशासी नियम (नियमों)	चेन्नै	चेन्नै	चेन्नै
	विनियामक समाधान			
4	परिवर्ती बेसल III नियम	टियर II	टियर II	टियर II
5	परिवर्ती पश्चात बेसल III नियम	टियर II	टियर II	टियर II
6	एकल / समूह / समूह @ एकल में पात्र	एकल	एकल	एकल
7	लिखत प्रकार	अपर टियर II ऋण लिखत	अपर टियर II ऋण लिखत	अपर टियर II ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी के रूप में चिह्नित राशि(रु. करोड़ में, हाल ही के रिपोर्टिंग तिथि पर)	327.65	255.00	483.50
9	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख
10	खाता वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता
11	निर्गमन की वास्तविक तिथि	17.09.2008	01.09.2009	10.01.2011
12	निरंतर या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	वास्तविक परिपक्वता तिथि	17.09.2023	01.09.2024	10.01.2026
14	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	हाँ	हाँ	हाँ
15	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रु करोड़ में)	17.09.2018 शून्य 655.30	01.09.2019 शून्य 510	10.01.2021 शून्य 967
16	अनुवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों कूपन / लाभांश	नहीं	नहीं	नहीं

33	If write-down, permanent or temporary	N/A	N/A	N/A
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	N/A	N/A	N/A
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
36	Non-compliant transitioned features	Yes	Yes	Yes
37	If yes, specify non-compliant features	No Basel III Loss Absorption	No Basel III Loss Absorption	No Basel III Loss Absorption

Table DF-13 : MAIN FEATURES OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

Sr. No.	Particulars	Upper Tier II	Upper Tier II	Upper Tier II
		SERIES II	SERIES III	SERIES IV
1	Issuer	PSU Bank	PSU Bank	PSU Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement	INE565A09173	INE565A09199	INE565A09223
3	Governing law(s) of the instrument	Chennai	Chennai	Chennai
	Regulatory treatment			
4	Transitional Basel III rules	Tier II	Tier II	Tier II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier II	Tier II	Tier II
6	Eligible at solo/group/group @ solo	Solo	Solo	Solo
7	Instrument type	Upper Tier II capital instrument	Upper Tier II capital instrument	Upper Tier II capital instrument
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. In Crore, as of most recent reporting date)	327.65	255.00	483.50
9	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs
10	Account classification	Liability	Liability	Liability
11	Original date of issuance	17.09.2008	01.09.2009	10.01.2011
12	Perpetual or dated	dated	dated	dated
13	Original maturity date	17.09.2023	01.09.2024	10.01.2026
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (in Rs. Crore)	17.09.2018 nil 655.30	01.09.2019 nil 510	10.01.2021 nil 967
16	Subsequent call dates, if applicable *Coupons / dividends*	No	No	No

17	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	निश्चित	निश्चित	निश्चित
18	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर
19	एक लाभांश रोधक का होना	नहीं	नहीं	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार , आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	वृद्धिशील 0.50%	वृद्धिशील 0.50%	वृद्धिशील 0.50%
22	गैर- संचयी या असंचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
23	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण ट्रिगर(रों)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि संपरिवर्तनीय हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि संपरिवर्तनीय हो, अनिवार्य या वैकल्पिक रुपांतरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि संपरिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार रुपांतरण को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तनीय लिखत का प्रकार विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं
31	यदि अवलेखन हो, अवलेखन ट्रिगर(रों)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन हो, स्थाई या अस्थाई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थाई अवलेखन हो, आलेख प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
36	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं
37	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	कूपन दर मे वृद्धि, बासल ।।। का अवशोषण नहीं	कूपन दर मे वृद्धि, बासल ।।। का अवशोषण नहीं	कूपन दर मे वृद्धि, बासल ।।। का अवशोषण नहीं

तालिका डीएफ 13: विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्व

विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों का प्रकटीकरण टेंपलेट

क्र. सं.	विवरण	बेमियादी बेसल III अनुपालन श्रृंखला IV
1	जारीकर्ता	सार्वजनिक क्षेत्र इकाई बैंक

17	Fixed or floating divend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate
19	Existence of a dividend stopper	No	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Step-up 0.50%	Step-up 0.50%	Step-up 0.50%
22	Non-cumulative or cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	N/A	N/A	N/A
25	If convertible, fully or partially	N/A	N/A	N/A
26	If convertible, conversion rate	N/A	N/A	N/A
27	If convertible, mandatory or optional conversion	N/A	N/A	N/A
28	If convertible, specify instrument type convertible into	N/A	N/A	N/A
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N/A	N/A	N/A
30	Write-down feature	No	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	N/A	N/A	N/A
32	If write-down, full or partial	N/A	N/A	N/A
33	If write-down, permanent or temporary	N/A	N/A	N/A
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	N/A	N/A	N/A
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
36	Non-compliant transitioned features	No	No	No
37	If yes, specify non-compliant features	Step-up in coupon rate, No Basel III loss absorbency	Step-up in coupon rate, No Basel III loss absorbency	Step-up in coupon rate, No Basel III loss absorbency

Table DF-13 : MAIN FEATURES OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

Sr. No.	Particulars	**Perpetual** **Basel II Compliant** **SERIES IV**
1	Issuer	PSU Bank

2	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनइ565ए09207
3	उपकरणों की अभिशासी नियम (नियमों)	चेन्नै
	विनियामक समाधान	
4	परिवर्ती बेसल III नियम	अतिरिक्त टीयर I
5	परिवर्ती पश्चात बेसल III नियम	अतिरिक्त टीयर I
6	एकल / समूह / समूह @ एकल में पात्र	एकल
7	उपकरण प्रकार	बेमियादी ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी के रूप में चिह्नित राशि(रु. करोड़ में, हाल ही के रिपोर्टिंग तिथि पर)	150.00
9	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रुपए 10.00 लाख
10	खाता वर्गीकरण	देयता
11	निर्गमन की वास्तविक तिथि	29.09.2009
12	निरंतर या दिनांकित	बेमियादी
13	वास्तविक परिपक्वता तिथि	बेमियादी
14	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	हां
15	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रु करोड़ में)	29.09.2019, शून्य, 300
16	अनुवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों	नहीं
	कूपन / लाभांश	
17	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	निश्चित
18	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	कूपन दर
19	एक लाभांश रोधक का होना	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार , आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	अनिवार्य
21	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	स्टेप अप - 0.50 प्रतिशत
22	गैर- संचयी या असंचयी	गैर-संचयी
23	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण ट्रिगर(रों)	लागू नहीं
25	यदि संपरिवर्तनीय हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण दर	लागू नहीं
27	यदि संपरिवर्तनीय हो, अनिवार्य या वैकल्पिक रुपांतरण	लागू नहीं
28	यदि संपरिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार रुपांतरण को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तनीय लिखत का प्रकार विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएँ	नहीं

2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement	INE565A09207
3	Governing law(s) of the instrument	Chennai
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Additional Tier I
5	Post-transitional Basel III rules	Additional Tier I
6	Eligible at solo/group/group @ solo	Solo
7	Instrument type	Perpetual Debt Instrument
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. In Crore, as of most recent reporting date)	150.00
9	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs
10	Account classification	Liability
11	Original date of issuance	29.09.2009
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	Perpetual
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (Rs. in Crore)	29.9.2019 , nil, 300
16	Subsequent call dates, if applicable	No
	Coupons / dividends	
17	Fixed or floating divend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Coupon rate
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Step-up 0.50%
22	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	N/A
25	If convertible, fully or partially	N/A
26	If convertible, conversion rate	N/A
27	If convertible, mandatory or optional conversion	N/A
28	If convertible, specify instrument type convertible into	N/A
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N/A
30	Write-down feature	No

31	यदि अवलेखन हो, अवलेखन ट्रिगर(रों)	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन हो, स्थाई या अस्थाई	लागू नहीं
34	यदि अस्थाई अवलेखन हो, आलेख प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	ईक्विटी शेयरधारकों से बेहतर और सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
36	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	हां
37	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	कूपन दर मे वृद्धि, बासल ।।। का अवशोषण नहीं

तालिका डीएफ 13: विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्व
विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों का प्रकटीकरण टेंपलेट

क्र. सं.	विवरण	बेमियादी बेसल III अनुपालन शृंखला I
1	जारीकर्ता	सार्वजनिक क्षेत्र इकाई बैंक
2	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनइ565ए09231
3	उपकरणों की अभिशासी नियम (नियमों)	चेन्नै
	विनियामक समाधान	
4	परिवर्ती बेसल III नियम	अतिरिक्त टीयर I
5	परिवर्ती पश्चात बेसल III नियम	अतिरिक्त टीयर I
6	एकल / समूह / समूह @ एकल में पात्र	एकल
7	उपकरण प्रकार	बेमियादी ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी के रूप चिह्नित राशि(रु.करोड़ में, हाल ही के रिपोर्टिंग तिथि पर)	1000.00
9	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रुपए 10.00 लाख
10	खाता वर्गीकरण	देयता
11	निर्गमन की वास्तविक तिथि	04.02.2015
12	निरंतर या दिनांकित	बेमियादी
13	वास्तविक परिपक्वता तिथि	बेमियादी
14	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	हां
15	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रु करोड़ में)	4.02.2020, शून्य, 1000
16	अनुवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों	नहीं
	कूपन / लाभांश	
17	डी एफ 14	निश्चित
18	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	कूपन दर
19	एक लाभांश रोधक का होना	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार , आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	पूर्ण विवेकाधिकार

31	If write-down, write-down trigger(s)	N/A
32	If write-down, full or partial	N/A
33	If write-down, permanent or temporary	N/A
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	N/A
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Superior to equity shareholders and subordinate to claims of all other creditors
36	Non-compliant transitioned features	Yes
37	If yes, specify non-compliant features	Step-Up in coupon rate, No Basel III loss Absorbency

Table DF-13 : MAIN FEATURES OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

Sr. No.	Particulars	Perpetual Basel III Compliant SERIES I
1	Issuer	PSU Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement	INE565A09231
3	Governing law(s) of the instrument	Chennai
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Additional Tier I
5	Post-transitional Basel III rules	Additional Tier I
6	Eligible at solo/group/group @ solo	Solo
7	Instrument type	Perpetual Debt Instrument
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. In Crore as of most recent reporting date)	1000.00
9	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs
10	Account classification	Liability
11	Original date of issuance	04.02.2015
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	Perpetual
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (Rs. In Crore)	4.2.2020, nil, 1000
16	Subsequent call dates, if applicable	No
	Coupons / dividends	
17	DF 14	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Coupon rate
19	Existence of a dividend stopper	No

21	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उपलब्ध नहीं
22	गैर- संचयी या असंचयी	गैर-संचयी
23	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण ट्रिगर(रों)	लागू नहीं
25	यदि संपरिवर्तनीय हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण दर	लागू नहीं
27	यदि संपरिवर्तनीय हो, अनिवार्य या वैकल्पिक रुपांतरण	लागू नहीं
28	यदि संपरिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार रुपांतरण को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तनीय लिखत का प्रकार विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएँ	उपलब्ध
31	यदि अवलेखन हो, अवलेखन ट्रिगर(रों)	सामान्य इक्विटी टीयर I पूंजी अनुपात 5.5
32	यदि अवलेखन हो, पूर्ण या आंशिक	आंशिक या पूर्णत:
33	यदि अवलेखन हो, स्थाई या अस्थाई	दोनों
34	यदि अस्थाई अवलेखन हो, आलेख प्रक्रिया का विवरण	बैंक पूरी तरह से अपने विवेकाधिकार से, भारिबैं से पूर्व मंजूरी लेकर अपने बॉन्ड को भविष्य में उसकी वास्तिवक कीमत पर बट्टा लेखा कर सकता है, जब वह यह प्रदर्शित करता है कि उसकी पूंजी स्थिति न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं से काफी ऊपर है
35	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
36	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	नहीं
37	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं

तालिका डीएफ 13: विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्व
विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों का प्रकटीकरण टेंपलेट

क्र. सं.	**विवरण**	**बेमियादी बेसल III अनुपालन शृंखला I**
1	जारीकर्ता	सार्वजनिक क्षेत्र इकाई बैंक
2	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनइ565ए09256
3	उपकरणों की अभिशासी नियम (नियमों)	चेन्नै
	विनियामक समाधान	
4	परिवर्ती बेसल III नियम	टीयर II
5	परिवर्ती पश्चात बेसल III नियम	आपात्र
6	एकल / समूह / समूह @ एकल में पात्र	एकल
7	लिखत प्रकार	टीयर II ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी के रूप चिह्नित राशि(रु. करोड़ में, हाल ही के रिपोर्टिंग तिथि पर)	800.00
9	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रुपए 10.00 लाख

20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Not Available
22	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	N/A
25	If convertible, fully or partially	N/A
26	If convertible, conversion rate	N/A
27	If convertible, mandatory or optional conversion	N/A
28	If convertible, specify instrument type convertible into	N/A
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N/A
30	Write-down feature	Available
31	If write-down, write-down trigger(s)	Common Equity Tier1 capital ratio 5.5
32	If write-down, full or partial	partially or fully
33	If write-down, permanent or temporary	Both
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Bank solely at its discretion, may write up the bonds to its original value in future, when it demonstrates that its capital position is well above the minimum capital requirements and with the prior approval of RBI
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
36	Non-compliant transitional features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not applicable

Table DF-13 : MAIN FEATURES OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

Sr. No.	**Particulars**	**Perpetual**
		Basel III Tier II
		SERIES I
1	Issuer	PSU Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement	INE565A09256
3	Governing law(s) of the instrument	Chennai
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier II
5	Post-transitional Basel III rules	ineligible

10	खाता वर्गीकरण	देयता
11	निर्गमन की वास्तविक तिथि	03.11.2016
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित
13	वास्तविक परिपक्वता तिथि	03.11.2026
14	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	हां
15	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रु करोड़ में)	शून्य, शून्य, 800
16	अनुवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों	लागू नहीं
	कूपन / लाभांश	
17	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	निश्चित
18	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	कूपन दर
19	एक लाभांश रोधक का होना	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार , आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	अनिवार्य
21	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उपलब्ध नहीं
22	गैर- संचयी या असंचयी	गैर-संचयी
23	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण ट्रिगर(रों)	लागू नहीं
25	यदि संपरिवर्तनीय हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण दर	लागू नहीं
27	यदि संपरिवर्तनीय हो, अनिवार्य या वैकल्पिक रुपांतरण	लागू नहीं
28	यदि संपरिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार रुपांतरण को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तनीय लिखत का प्रकार विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएँ	हां
31	यदि अवलेखन हो, अवलेखन ट्रिगर(रों)	भा रि बैंक द्वारा पीओएनवी के तहत घोषण पर
32	यदि अवलेखन हो, पूर्ण या आंशिक	आंशिक या पूर्णत:
33	यदि अवलेखन हो, स्थाई या अस्थाई	स्थायी
34	यदि अस्थाई अवलेखन हो, आलेख प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
36	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	नहीं
37	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं

6	Eligible at solo/group/group @ solo	Solo
7	Instrument type	Tier II debt instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. In Crore as of most recent reporting date)	800.00
9	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs
10	Account classification	Liability
11	Original date of issuance	03.11.2016
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	03.11.2026
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (Rs. In Crore)	nil, nil, 800
16	Subsequent call dates, if applicable	Not applicable
	Coupons / dividends	
17	Fixed or floating divend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Coupon rate
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Not Available
22	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	N/A
25	If convertible, fully or partially	N/A
26	If convertible, conversion rate	N/A
27	If convertible, mandatory or optional conversion	N/A
28	If convertible, specify instrument type convertible into	N/A
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N/A
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	Upon declaration under PONV by RBI
32	If write-down, full or partial	Partially / fully
33	If write-down, permanent or temporary	permanent
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	N/A
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
36	Non-compliant transitional features	No
37	If yes, specify non-compliant features	N/A

तालिका डीएफ 14: विनियामक पूंजी लिखतों के लिए नियम व शर्तें
विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों का प्रकटीकरण टेंपलेट

क्र. सं.	विवरण	निम्न टियर II	निम्न टियर II	निम्न टियर II
		शृंखला XII	शृंखला XIII	शृंखला XIV
1	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई565ए09165	आइएनई 565ए09181	आइएनई565ए09215
2	लिखत प्रकार	टियर II उधार लिखत	टियर II उधार लिखत	टियर II उधार लिखत
3	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख
4	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रु मिलियन में)	शून्य , शून्य , 300	शून्य , शून्य , 290	शून्य , शून्य , 1000
6	अनुवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	निश्चित	निश्चित	निश्चित
8	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर
9	लाभांश अवरोधक की मौजूदगी	नहीं	नहीं	नहीं
10	पूर्ण विवेकाधिकार , आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
11	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
12	गैर- संचयी या असंचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
13	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
14	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
15	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	हां	हां	हां
16	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	बासल ।।। का अवशोषण नहीं	बासल ।।। का अवशोषण नहीं	बासल ।।। का अवशोषण नहीं

तालिका डीएफ 14: विनियामक पूंजी लिखतों के लिए नियम व शर्तें
विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों का प्रकटीकरण टेंपलेट

क्र. सं.	विवरण	उच्च टियर II	उच्च टियर II	उच्च टियर II
		शृंखला II	शृंखला III	शृंखला IV
1	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई565ए09173	आइएनई565ए09199	आइएनई 565ए09223
2	लिखत प्रकार	उच्च टियर II पूंजी लिखत	उच्च टियर II	पूंजी लिखत
3	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख
4	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	हां	हां	हां
5	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रु मिलियन में)	17.09.2018 शून्य 655.30	01.09.2019 शून्य 510	10.01.2021 शून्य 967

Table DF-14 : TERMS AND CONDITIONS OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS Disclosure template for main features of regulatory capital instruments				
Sr. No.	**Particulars**	**Lower Tier II**	**Lower Tier II**	**Lower Tier II**
		SERIES XII	**SERIES XIII**	**SERIES XIV**
1	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement	INE565A09165	INE565A09181	INE565A09215
2	Instrument type	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments
3	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs
4	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not applicable	Not applicable	Not applicable
5	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (Rs. in Crore)	nil, nil, 300	nil, nil, 290	nil, nil, 1000
6	Subsequent call dates, if applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
7	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
8	Coupon rate and any related index	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate
9	Existence of a dividend stopper	No	No	No
10	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
11	Existence of step up or other incentive to redeem	Not available	Not Available	Not available
12	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
13	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
14	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
15	Non-compliant transitioned features	Yes	Yes	Yes
16	If yes, specify non-compliant features	No Basel III Absorption	No Basel III Absorption	No Basel III Absorption

Table DF-14 : TERMS AND CONDITIONS OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS Disclosure template for main features of regulatory capital instruments				
Sr. No.	**Particulars**	**Upper Tier II**	**Upper Tier II**	**Upper Tier II**
		SERIES II	**SERIES III**	**SERIES IV**
1	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement	INE565A09173	INE565A09199	INE565A09223
2	Instrument type	Upper Tier II capital instrument	Upper Tier II capital instrument	Upper Tier II capital instrument
3	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs
4	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes
5	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (in Rs. Crore)	17.09.2018 nil 655.30	01.09.2019 nil 510	10.01.2021 nil 967

6	अनुवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों	नहीं	नहीं	नहीं
7	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	निश्चित	निश्चित	निश्चित
8	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर
9	लाभांश अवरोधक की मौजूदगी	नहीं	नहीं	नहीं
10	पूर्ण विवेकाधिकार , आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
11	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	स्टेप अप	स्टेप अप	स्टेप अप
12	गैर- संचयी या असंचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
13	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
14	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
15	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	हां	हां.	हां
16	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	कूपन दर मे वृद्धि, बासल ।।। का अवशोषण नहीं	कूपन दर मे वृद्धि, बासल ।।। का अवशोषण नहीं	कूपन दर मे वृद्धि, बासल ।।। का अवशोषण नहीं

तालिका डीएफ 14: विनियामक पूंजी लिखतों के लिए नियम व शर्तें
विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों का प्रकटीकरण टेंपलेट

क्र. सं.	**विवरण**	**बेमियादी बेसल III अनुपालन श्रृंखला IV**
1	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई565ए09207
2	लिखत प्रकार	सतत ऋण लिखत
3	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रु.10.00 लाख
4	सतत या दिनांकित	बेमियादी
5	वास्तविक परिपक्वता तिथि	बेमियादी
6	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	हां
7	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रु करोड़ में)	शून्य, शून्य, 300
8	निश्चित या चल लाभांश / कूपन	निश्चित
9	लाभांश अवरोधक की मौजूदगी	नहीं
10	पूर्ण विवेकाधिकार , आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	अनिवार्य
11	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	स्टेप अप
12	गैर- संचयी या असंचयी	गैर-संचयी
13	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय

6	Subsequent call dates, if applicable	No	No	No
7	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
8	Coupon rate and any related index	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate
9	Existence of a dividend stopper	No	No	No
10	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
11	Existence of step up or other incentive to redeem	Step-up	Step-up	Step-up
12	Non-cumulative or cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative
13	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
14	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
15	Non-compliant transitioned features	Yes	Yes	Yes
16	If yes, specify non-compliant features	Step-Up in coupon rate, No basel III loss absorbency	Step-Up in coupon rate, No basel III loss absorbency	Step-Up in coupon rate, No basel III loss absorbency

Table DF-14 : TERMS AND CONDITIONS OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS
Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

Sr. No.	Particulars	Perpetual
		Basel II Compliant
		SERIES IV
1	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement	INE565A09207
2	Instrument type	Perpetual Debt Instrument
3	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs
4	Perpetual or dated	Perpetual
5	Original maturity date	Perpetual
6	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
7	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (Rs. in Crore)	nil, nil, 300
8	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
9	Existence of a dividend stopper	No
10	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
11	Existence of step up or other incentive to redeem	Step-up
12	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative
13	Convertible or non-convertible	Non-convertible

14	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	ईक्विटी शेयरधारकों से बेहतर और सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
15	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	हां
16	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	कूपन दर मे वृद्धि, बासल ।।। का अवशोषण नहीं

तालिका डीएफ 14: विनियामक पूंजी लिखतों के लिए नियम व शर्तें
विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों का प्रकटीकरण टेंपलेट

क्र. सं.	विवरण	बेमियादी बेसल III अनुपालन श्रृंखला I
1	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई565ए09231
2	लिखत प्रकार	सतत ऋण लिखत
3	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रु.10.00 लाख
4	सतत या दिनांकित	सतत
5	वास्तविक परिपक्वता तिथि	सतत
6	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	हां
7	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रु करोड़ में)	शून्य, शून्य, 1000
8	निश्चित या चल लाभांश / कूपन	निश्चित
9	लाभांश अवरोधक की मौजूदगी	नहीं
10	पूर्ण विवेकाधिकार , आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	पूर्ण विवेकाधिकार
11	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उपलब्ध नहीं
12	गैर- संचयी या असंचयी	गैर-संचयी
13	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
14	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
15	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	नहीं
16	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं

14	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Superior to equity shareholders and subordinate to claims of all other creditors
15	Non-compliant transitioned features	Yes
16	If yes, specify non-compliant features	Step-Up in coupon rate, No Basel III loss absorbency

Table DF-14 : TERMS AND CONDITIONS OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

Sr. No.	Particulars	Perpetual Basel III Compliant SERIES I
1	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement	INE565A09231
2	Instrument type	Perpetual Debt Instrument
3	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs
4	Perpetual or dated	Perpetual
5	Original maturity date	Perpetual
6	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
7	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (Rs. in Crore)	nil,, nil, 1000
8	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
9	Existence of a dividend stopper	No
10	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Full Discretionary
11	Existence of step up or other incentive to redeem	Not available
12	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative
13	Convertible or non-convertible	Non-convertible
14	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
15	Non-compliant transitioned features	No
16	If yes, specify non-compliant features	Not applicable

तालिका डीएफ 14: विनियामक पूंजी लिखतों के लिए नियम व शर्तें
विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों का प्रकटीकरण टेंपलेट

क्र. सं.	विवरण	बेमियादी टियर II बेसल III अनुपालन श्रृंखला I
1	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई565ए09256
2	लिखत प्रकार	ऋण लिखत
3	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रु.10.00 लाख
4	सतत या दिनांकित	दिनांकित
5	वास्तविक परिपक्वता तिथि	03.11.2026
6	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	हां
7	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रु करोड़ में)	शून्य, शून्य, 800
8	निश्चित या चल लाभांश / कूपन	निश्चित
9	लाभांश अवरोधक की मौजूदगी	नहीं
10	पूर्ण विवेकाधिकार , आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	पूर्ण विवेकाधिकार
11	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उपलब्ध नहीं
12	गैर- संचयी या असंचयी	गैर-संचयी
13	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
14	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
15	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	नहीं
16	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं

टेबल डीएफ -16

इक्विटी - बैंकिंग बही स्थिति के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

1	इक्विटी जोखिम के संबंध में निम्नलिखित समेत सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण अपेक्षाएँ: • उन धारिताओं पर जिनपर पूँजीगत लाभ अपेक्षित हैं तथा संबंध व व्यूहात्मक कारणों सहित उन उद्देश्यों के तहत ली गई धारिताओं के बीच विभेद ;और • बैंकिंग बही में मूल्यांकन और ईक्विटी धारिताओं के लेखांकन को कवर करने वाली महत्वपूर्ण नीतियों पर चर्चा। इसमें मूल्यांकन व इसके साथ-साथ इन प्रक्रियाओं में उल्लेखनीय परिवर्तनों को प्रभावित करने वाली प्रमुख पूर्वधारणाओं एवं प्रक्रियाओं सहित लेखांकन तकनीक व प्रयुक्त मूल्यांकन पद्धतियाँ शामिल हैं।

Table DF-14 : TERMS AND CONDITIONS OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS		
Disclosure template for main features of regulatory capital instruments		
Sr. No.	**Particulars**	**Perpetual Basel III Compliant Tier II SERIES I**
1	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement	INE565A09256
2	Instrument type	Debt Instrument
3	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs
4	Perpetual or dated	Dated
5	Original maturity date	03.11.2026
6	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
7	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (Rs. in Crore)	nil,, nil, 800
8	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
9	Existence of a dividend stopper	No
10	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Full Discretionary
11	Existence of step up or other incentive to redeem	Not available
12	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative
13	Convertible or non-convertible	Non-convertible
14	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
15	Non-compliant transitioned features	No
16	If yes, specify non-compliant features	Not applicable

Table DF-16

EQUITIES – DISCLOSURE FOR BANKING BOOK POSITIONS

Qualitative Disclosure

1	The general qualitative disclosure requirement with respect to equity risk, including: • differentiation between holdings on which capital gains are expected and those taken under other objectives including for relationship and strategic reasons; and • Discussion of important policies covering the valuation and accounting of equity holdings in the banking book. This includes the accounting techniques and valuation methodologies used, including key assumptions and practices affecting valuation as well as significant changes in these practices

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	राशि
1	निवेशों के तुलन पत्र मे प्रकटित मूल्य के साथ-साथ उन निवेशों का उचित मूल्य ;कोट किए हुए प्रतिभूतियों के लिए सार्वजनिक रूप से कोट किए हुए शेयरों की तुलना जहां शेयर कीमत उचित मूल्य से भिन्न है ।	566.67*
2	निम्नलिखितानुसार वगीकृत की जा सकने वाली राशि के साथ निवेशों के प्रकार व स्वरूप: - सार्वजनिक रूपसे ट्रेड होनेवाले - निजी रूप से धारित	 1007.80 781.21
3	रिपोर्टिंग अवधि में समापन व बिकि से प्राप्त संचयित लाभ (हानि) (01.04.2016 से 31.03.2017)	134.15
4	न उगाहे गए कुल लाभ (हानि)	0.00
5	कुल निहित पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानि)	0.00
6	टियर 1 व / या टियर 2 पूंजी में सम्मिलित उपर्युक्त कोई भी राशि	0.00
7	विनियामक पूंजीगत अपेक्षाओं के संबंध में प्रावधानों के पर्यवेक्षी संकमण की शर्त पर इक्विटी निवेशों के प्रकार व सकल राशि के साथ-साथ बैंक की पद्धतियों के अनुसार इक्विटी समूहन द्वारा काटी गयी पूंजीगत अपेक्षाएं	0.00
* कोट किए गए सभी ईक्विटी शेयरों के नवीनतम बाज़ार मूल्य को सूचित करता है।		

डीएफ तालिका 17 -
लेखांकन आस्तियां तथा लिवरेज अनुपात मापदंड का तुलना सारांश

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	मद	राशि
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	247067
2	बैंकिंग में निवेश हेतु समायोजन, वित्तीय, बीमा अथवा कारोबारी इकाइयां जो कि लेखांकन उद्देश्य से समेकित की गई हैं किंतु नियामक समेकन के विस्तार के बाहर हैं	289
3	परिचालित लेखांकन फ्रेमवर्क के आधार पर किंतु लिवरेज अनुपात मानक से बाहर तुलनपत्र पर पहचानी गई फजी आस्तियों के लिए समायोजन	0
4	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन	2237
5	प्रतिभूतित वित्तीय लेनदेनों के लिए समायोजन (जैसे कि रेपो एवं समान सुरक्षित उधार)	8600
6	तुलनपत्र से परे की मदों के लिए समायोजन (तुलनपत्र एक्सपोज़र से परे समतुल्य क्रेडिट राशियों में परिवर्तन)	19270
7	अन्य समायोजन	
8	लिवरेज अनुपात एक्सपोज़र	276885

Quantitative Disclosure

(Rs. in crore)

Sr. No.	Particulars	Amount
1	Value disclosed in the balance sheet of investments, as well as the fair value of those investments; for quoted securities, a comparison to publicly quoted share values where the share price is materially different from fair value	566.67*
2	The types and nature of investments, including the amount that can be classified as: • Publicly traded • Privately held	 1007.80 781.21
3	The cumulative realised gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period (01.04.2016 to 31.03.2017)	134.15
4	Total unrealised gains (losses)	0.00
5	Total latent revaluation gains (losses)	0.00
6	Any amounts of the above included in Tier 1 and/or Tier 2 capital	0.00
7	Capital requirements broken down by appropriate equity groupings, consistent with the bank's methodology, as well as the aggregate amounts and the type of equity investments subject to any supervisory transition or grandfathering provisions regarding regulatory capital requirements	0.00

* Indicates the latest market value of all the quoted equity shares.

Table DF 17

SUMMARY COMPARISON OF ACCOUNTING ASSETS VS. LEVERAGE RATIO EXPOSURE MEASURE

(Rs. in crore)

Sr. No.	Item	Amount
1	Total consolidated assets as per published financial statements	247067
2	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	289
3	Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	0
4	Adjustments for derivative financial instruments	2237
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	8600
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off- balance sheet exposures)	19270
7	Other adjustments	
8	**Leverage ratio exposure**	276885

डीएफ तालिका -18: लेवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	मद	लिवरेज अनुपात फ्रेमवर्क
1	तुलनपत्र की मदें (डेरीवेटिव एवं एसएफटी को छोड़कर किंतु संपार्श्विकों सहित)	247067
2	(आस्ति राशियों को बेसल ।।। टियर । पूंजी निर्धारण में कटौती)	289
3	**तुलनपत्र में कुल एक्सपोज़र** (डेरीवेटिव एवं एसएफटी को छोड़कर) (1 एवं 2 पॅक्ति का योग)	**246778**
	डेरीवेटिव एक्सपोज़र	
4	सभी डेरीवेटिव लेनदेनों के साथ संबद्ध मूल्य की प्रतिस्थापना (जैसे कि पात्र नकदी भिन्नता मार्जिन का निवल)	753
5	सभी व्युत्पन्न लेनदेनों के साथ पीएफई संबद्ध हेतु अतिरिक्त राशियां	1483
6	जहां परिचालित लेखांकन फ्रेमवर्क के आधार पर तुलन पत्र आस्तियों से कटौतियां की गई हैं वहां डेरीवेटिव संपार्श्विक के लिए ग्रॉस-अप	---
7	(डेरीवेटिव लेनदेनों में प्रदत्त नकदी विचलन मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों की कटौतियां)	---
8	(ग्राहक - निपटान कारोबार एक्सपोज़र के सीसीपी लेग से छूट)	---
9	लिखे हुए क्रेडिट डेरीवेटिव के लिए अनुमानित राशि का प्रभावी समायोजन	---
10	(लिखे हुए क्रेडिट डेरीवेटिव के लिए समायोजित अनुमानित राशि ऑफसेट तथा अतिरिक्त कटौतियां)	---
11	**कुल डेरीवेटिव एक्सपोज़र (4 से 10 पॅक्तियों का योग)**	**2237**
	प्रतिभूति वित्तीय लेनदेन एक्सपोज़र	
12	बिक्री खाता लेनदेनों के लिए समायोजित करने के बाद सकल एसएफटी आस्तियां (नेटिंग के लिए अनभिज्ञ),	---
13	(सकल एसएफटी आस्तियो की नकद प्राप्तियों तथा नकद देयताओं की निवल राशि)	---
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोज़र	8600
15	एजेंट लेनदेन एक्सपोज़र	---
16	**कुल प्रतिभूतित वित्तीय लेनदेन एक्सपोज़र (12 से 15 पॅक्तियों का योग)**	**8600**
	तुलनपत्र से परे अन्य मदें	
17	सकल अनुमानित राशि पर तुलन पत्र से परे एक्सपोज़र	44753
18	(क्रेडिट समतुल्य राशियों के परिवर्तन के लिए समायोजन)	25483
19	**तुलनपत्र से परे मदें (17 तथा 18 पॅक्तियों का योग)**	**19270**
	पूँजी एवं कुल एक्सपोज़र	
20	**टियर - । पूँजी**	**13892**
21	**कुल एक्सपोज़र (3, 11, 16 तथा 19 पॅक्तियों का योग)**	**276885**
	लिवरेज अनुपात	
22	**बेसल ।।। लिवरेज अनुपात**	**5.02%**

Table DF-18 LEVERAGE RATIO COMMON DISCLOSURE TEMPLATE

(Rs. in crore)

Sr. No.	Item	Leverage ratio framework
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	247067
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	289
3	**Total on-balance sheet exposures** (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	**246778**
	Derivative exposures	
4	Replacement cost associated with all *derivatives* transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	753
5	Add-on amounts for PFE associated with *all* derivatives transactions	1483
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	---
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	---
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	---
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	---
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	---
11	**Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)**	**2237**
	Securities financing transaction exposures	
12	Gross SFT *assets* (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	---
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	---
14	CCR exposure for SFT assets	8600
15	Agent transaction exposures	---
16	**Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)**	**8600**
	Other off-balance sheet exposures	
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	44753
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	25483
19	**Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)**	**19270**
	Capital and total exposures	
20	**Tier 1 capital**	**13892**
21	**Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)**	**276885**
	Leverage ratio	
22	**Basel III leverage ratio**	**5.02%**